



सत्यमेव जयते

भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
राजस्व सेक्टर  
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 4



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**राजस्व सेक्टर**

**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष**

**हरियाणा सरकार**

**वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 4**



## विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
<b>अध्याय-1</b>		
<b>सामान्य</b>		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	7-9
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	9
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	10
रिफंड मामले	1.5	10-11
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	11
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	11
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7.2	13
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.7.3	13
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर	1.7.4	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.7.5	14
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	15
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	15
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.8.2	15
लेखापरीक्षा आयोजना	1.9	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	16
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	16

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>अध्याय-2</b>		
<b>बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट</b>		
कर प्रबंध	2.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	17-18
बिक्रियों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	2.3	19-20
खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	2.4	20
कैपिटल गुड्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर गलत ढंग से अनुमत इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.5	21-22
बेचे न गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	2.6	22
परिगणना में गलती के कारण कर का अवनिर्धारण	2.7	23-24
कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.8	24-26
सकल टर्न ओवर में उत्पाद शुल्क को शामिल न किए जाने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.9	26
हैंडलिंग प्रभारों पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण कर का अवनिर्धारण	2.10	27
अवैध फार्म 'एफ' के विरुद्ध कर लाभ की अनुमति	2.11	28-29
ब्याज का अनुद्ग्रहण	2.12	29-30
कर-योग्य माल पर कर का अनुद्ग्रहण	2.13	30-31
पेनल्टी का अनुद्ग्रहण	2.14	31-32
<b>अध्याय-3</b>		
<b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>		
कर प्रबंध	3.1	33
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	33-34
शराब का त्रैमासिक कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण	3.3	34-35
लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण	3.4	35-36

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>अध्याय-4</b>		
<b>स्टाम्प शुल्क</b>		
कर प्रबंध	4.1	37
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	38-39
“स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.3	40-66
<b>अध्याय-5</b>		
<b>वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर</b>		
<b>मोटर वाहन कर</b>		
कर प्रबंध	5.1	67
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	67-68
मोटर वाहन कर और पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली	5.3	68-69
परिवहन वाहनों पर लगाई गई पेनल्टी की अवसूली	5.4	70-71
<b>अध्याय-6</b>		
<b>अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां</b>		
कर प्रबंध	6.1	73
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	73-74
<b>खदान एवं भू-विज्ञान विभाग</b>		
अग्रिम मासिक किश्तों और ब्याज की कम वसूली/अवसूली	6.3	74-75
खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि का कम जमा करवाना/जमा न करवाना	6.4	75-76
रॉयल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	6.5	76-77

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 जून 2019 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.7.5	79
II	30 जून 2019 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.5	80-81
III	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	82
IV	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के स्वीकृत मामलों की वसूली	1.8.2	83
V	पंजीकरण फीस की संशोधित दरों का विलंबित कार्यान्वयन	4.3.15	84-85
शब्दावली		87-88	

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2018-19 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2018-19 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



**संक्षिप्त अवलोकन**



## संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 671.23 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित "स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, मोटर वाहन कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 19 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

### 1. अध्याय-1

#### सामान्य

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 62,694.87 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 65,885.12 करोड़ थीं। इसमें से, 77 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 42,581.34 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,975.64 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 23 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 8,254.60 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 7,073.54 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,190.25 करोड़ (5.09 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन कर तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के 275 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2018-19 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,836 मामलों में कुल ₹ 2,279.04 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभागों ने 5,211 मामलों में ₹ 948.12 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान 304 मामलों में ₹ 13.29 करोड़ (1.40 प्रतिशत) वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.10)

### 2. अध्याय-2

#### बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

17 डीलरों ने ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री को छिपा दिया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.06 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 180.17 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहीत नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 5.00 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने परिगणना में गलती के कारण ₹ 26.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 18.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ डीलरों के कर की गलत दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 43.84 करोड़ के शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ के कर का अनुद्ग्राहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.11)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के स्टॉक को छिपाने के लिए अदेय इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 14.27 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

(अनुच्छेद 2.14)

### 3. अध्याय-3

#### राज्य उत्पाद शुल्क

कोटा कम उठाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा पेनल्टी का उद्ग्राहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि हेतु 58 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 153.36 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्राहण के कारण ₹ 3.19 करोड़ की हानि थी।

(अनुच्छेद 3.4)

### 4. अध्याय-4

#### स्टाम्प शुल्क

“स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्राहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने सिस्टम में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग में कमियां दर्शाईं, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के कारण राजस्व की कम वसूली/अवसूली हुई। सिस्टम डिज़ाइन में कमियां देखी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्राहण हुआ। अचल संपत्ति और रिफंड प्रक्रिया के अवमूल्यांकन के संदर्भित मामले स्वचालित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप संदर्भित मामलों और त्रुटिपूर्ण स्टाम्प रिफंड प्रक्रिया के निपटान में विलंब हुआ। ई-पंजीकरण प्रणाली में अपर्याप्त एप्लीकेशन नियंत्रण पारदर्शिता, बिचौलिया को हटाने, सेवा के अधिकार अधिनियम में परिकल्पित के रूप में नागरिकों को परेशानी मुक्त सेवाओं के प्रावधान के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उपर्युक्त के परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार को ₹ 25.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। आगे, भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के अंतर्गत आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य को निर्धारित तिथि से आठ वर्ष के

बाद भी पूरा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

- विभाग ने कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश, सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश और परिवर्तन प्रबंधन नीति/प्रक्रिया तैयार नहीं की थी।

(अनुच्छेद 4.3.7.1)

- प्रणाली में व्यापार नियमों की मैपिंग की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.3.7.2 (क) से (घ)}

- स्वचालन के अभाव में अपूर्ण प्रणाली डिजाइन तथा मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया के लागू न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.7.3)

- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य पूरा नहीं हुआ था।

(अनुच्छेद 4.3.10.2)

- आपदा की स्थिति में आई.टी. प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 4.3.11)

- विभाग ने कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई है। इसके अभाव में, छुट्टी आदि के कारण उनकी अनुपस्थिति के दिन/दिनों पर विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को आबंटित यूजर आई.डी. का प्रयोग करते हुए 3,981 लेनदेन अप्राधिकृत रूप से बनाए/एक्सेस किए गए थे।

(अनुच्छेद 4.3.12)

- पंजीकरण फीस की संशोधित दरों को देरी से लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.15)

## 5. अध्याय-5

### वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

#### माल वाहन कर

597 परिवहन और माल वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान मोटर वाहन कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.61 लाख के मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 69.61 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 5.3)

97 परिवहन वाहनों के मालिकों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए लगाई गई देय पेनल्टी को जमा नहीं करवाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 5.4)

## 6. अध्याय-6

### अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

#### खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

- विभाग ने ₹ 195.76 करोड़ के मासिक संविदा धन के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 36 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3)

- विभाग ने खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि में ₹ 21.30 करोड़ कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 22 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की। ₹ 7.08 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.4)

- 34 ईट भट्ठा मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान रॉयल्टी की ₹ 10.69 लाख की देय राशि जमा नहीं की। ₹ 4.11 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.5)

**अध्याय-1**  
**सामान्य**



## अध्याय-1: सामान्य

### 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

**तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 <sup>1</sup>
1	<b>राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व</b>					
	कर राजस्व	27,634.57	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34 <sup>2</sup>
	कर-भिन्न राजस्व	4,613.12	4,752.48	6,196.09	9,112.85	7,975.64
	<b>योग</b>	<b>32,247.69</b>	<b>35,681.57</b>	<b>40,221.78</b>	<b>50,212.23</b>	<b>50,556.98</b>
2	<b>भारत सरकार से प्राप्तियां</b>					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	3,548.09	5,496.22	6,597.47	7,297.52	8,254.60 <sup>3</sup>
	सहायता अनुदान	5,002.88	6,378.76	5,677.57	5,185.12	7,073.54 <sup>4</sup>
	<b>योग</b>	<b>8,550.97</b>	<b>11,874.98</b>	<b>12,275.04</b>	<b>12,482.64</b>	<b>15,328.14</b>
3	<b>राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)</b>	<b>40,798.66</b>	<b>47,556.55</b>	<b>52,496.82</b>	<b>62,694.87</b>	<b>65,885.12</b>
4	<b>1 की 3 से प्रतिशतता</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>77</b>

<sup>1</sup> राज्य सरकार का वित्त लेखा।


<sup>2</sup> इसमें मुख्य शीर्ष 0006-राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 18,612.72 करोड़ की राशि शामिल है।

<sup>3</sup> इसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,037.54 करोड़ की राशि और एकीकृत माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में ₹ 162.60 करोड़ शामिल हैं।

<sup>4</sup> इसमें माल एवं सेवा कर के लागू होने से हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,820.00 करोड़ की राशि शामिल है।

2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1



वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 50,556.98 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 77 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियों का शेष 23 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2014-15 (79 प्रतिशत) से 2016-17 (77 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। वर्ष 2017-18 के लिए यह बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई और उसके बाद वर्ष 2018-19 के लिए घटकर 77 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2017-18 के वास्तविकों पर 2018-19 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता				
1.	बिक्रियाँ, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	18,993.25 (68.73)	21,060.23 (68.09)	23,488.41 (69.03)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.13)	(-) 42.35
	राज्य माल एवं सेवा कर				10,833.43 (26.36)	18,612.72 <sup>5</sup> (43.71)	-
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,470.45 (12.56)	4,371.08 (14.13)	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	21.66
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,108.70 (11.25)	3,191.21 (10.32)	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	34.43
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	527.07 (1.91)	554.25 (1.79)	594.59 (1.75)	2,317.47 <sup>6</sup> (5.64)	20.70 (0.05)	(-) 99.11
5.	वाहनों पर कर	1,191.50 (4.31)	1,400.38 (4.53)	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	4.71
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	239.74 (0.87)	256.66 (0.83)	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	10.09
7.	भू-राजस्व	15.28 (0.06)	14.97 (0.05)	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	6.20
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	88.58 (0.32)	80.31 (0.26)	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	(-) 89.87
	योग	27,634.57	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34	3.61
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	8.08	11.92	10.01	20.79	3.61	
	संपूर्ण औसत वृद्धि एवं पांच वर्ष की वृद्धि दर						35,254.01 10.88

<sup>5</sup> जी.एस.टी. की राशि वर्ष 2017-18 के लिए नौ महीने के लिए तथा 2018-19 के लिए 12 महीने की है। अतएव इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

<sup>6</sup> पी.जी.टी. 01.04.2017 से परिवहन विभाग को स्थानांतरित किया गया। इसमें जून 2017 में शुरू किए गए "बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा एक बारगी निपटान" के अंतर्गत प्राप्त ₹ 1,722.88 करोड़ शामिल हैं।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2



10.88 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व कर में ₹ 14,946.77 करोड़ (54.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2017-18 में 12.58 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत तक बिक्रियों (वैट + एस.जी.एस.टी.) पर मुख्यतः कर की वार्षिक वृद्धि दर में कमी के कारण 2018-19 के लिए वृद्धि दर घटकर 3.61 प्रतिशत हो गई क्योंकि कर प्राप्तियों का 65 प्रतिशत केवल इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित किया गया है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** गत पांच वर्षों के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्ति में 2017-18 में ₹ 4,966.21 करोड़ के विरुद्ध 2018-19 में ₹ 6,041.87 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि देशी स्पिरिट पर अधिक प्राप्ति के कारण थी।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** गत पांच वर्षों के दौरान, स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस में 2017-18 में ₹ 4,192.49 करोड़ के विरुद्ध 2018-19 में ₹ 5,636.17 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि अचल संपत्ति के लेन-देन में वृद्धि के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** गत पांच वर्षों के दौरान, बिजली पर कर एवं शुल्कों में 2017-18 में ₹ 306.03 करोड़ के विरुद्ध 2018-19 में ₹ 336.92 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि बिजली की उपयोगिता द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की अधिक वसूली के कारण थी।

1.1.3 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 के वास्तविकों पर 2018-19 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	933.59 (20.24)	1,087.49 (22.88)	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	(-) 12.30
2.	सड़क परिवहन	1,235.31 (26.78)	1,254.55 (26.40)	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.0)	(-) 6.49
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	564.48 (12.24)	637.41 (13.41)	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	(-) 59.62
4.	शहरी विकास	861.11 (18.67)	421.95 (8.88)	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	(-) 19.08
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	43.46 (0.94)	271.61 (5.72)	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	(-) 18.19
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	129.27 (2.80)	110.48 (2.32)	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	23.98
7.	पुलिस	67.82 (1.47)	151.70 (3.19)	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	37.51
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	95.73 (2.08)	115.64 (2.43)	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	(-) 3.29
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	44.29 (0.96)	51.90 (1.09)	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	(-) 13.81
10.	विविध सामान्य सेवाएं <sup>7</sup>	20.38 (0.44)	41.39 (0.87)	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	(-) 33.98
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	145.50 (3.15)	142.06 (2.99)	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	3.36
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	472.18 (10.24)	466.30 (9.81)	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	762.85 <sup>8</sup> (9.56)	67.07
	<b>योग</b>	<b>4,613.12</b>	<b>4,752.48</b>	<b>6,196.09</b>	<b>9,112.85</b>	<b>7,975.64</b>	<b>(-) 12.48</b>

<sup>7</sup> अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

<sup>8</sup> लाभांश एवं लाभ- ₹ 56.60 करोड़, लोक सेवा आयोग- ₹ 32.75 करोड़, लोक निर्माण- ₹ 38.67 करोड़, पेंशन में अंशदान एवं वसूली- ₹ 33.85 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- ₹ 190.98 करोड़, श्रम एवं रोजगार- ₹ 37.02 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- ₹ 59.79 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- ₹ 130.63 करोड़, सड़क एवं पुल- ₹ 58.17 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 31.25 करोड़; जेल- ₹ 2.44 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान- ₹ 1.20 करोड़, लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग- ₹ 2.76 करोड़, परिवार कल्याण- ₹ 0.12 करोड़, आवास- ₹ 4.22 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन- ₹ 0.57 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं- ₹ 0.47 करोड़, फसल पालन- ₹ 11.16 करोड़, पशुपालन- ₹ 24.78 करोड़, डेयरी विकास- ₹ 0.03 करोड़, मछली पालन- ₹ 2.06 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण- ₹ 0.41 करोड़, सहकारिता- ₹ 9.71 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम- ₹ 1.72 करोड़, भूमि सुधार- ₹ 0.05 करोड़, लघु सिंचाई- शून्य, बिजली- शून्य, पेट्रोलियम- शून्य, नई नवीकरणीय ऊर्जा- ₹ 0.18 करोड़, कुटीर एवं लघु उद्योग- ₹ 0.86 करोड़, उद्योग- ₹ 0.11 करोड़, नागरिक उड्डयन- ₹ 1.74 करोड़, पर्यटन- ₹ 06.18 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- ₹ 22.37 करोड़।

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3



वर्ष 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में 12.48 प्रतिशत की कमी है। ब्याज प्राप्तियां (24.50 प्रतिशत), शहरी विकास (29.03 प्रतिशत), तथा सड़क परिवहन (15.0 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का लगभग 68.53 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (18.19 प्रतिशत) संविदा धन/डेड रेंट का भुगतान न करने पर खनन अनुबंध/पट्टे की समय से पहले समाप्ति, अनुबंध का समर्पण, यह स्वीकार करने के बाद कि वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं, वार्षिक बोली राशि में कमी की मांग करते हुए अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका दायर करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान न करने के कारण खनन परिचालन शुरू करने के कारण थी।

- **प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (23.98 प्रतिशत) पिछले वर्ष के बकायों की वसूली तथा विभाग की संसाधन गतिशीलता नीति के अंतर्गत ताजे पानी की दरों में वृद्धि के कारण थी।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (59.62 प्रतिशत) प्राथमिक शिक्षा से कम प्राप्ति के कारण थी।
- **शहरी विकास:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (19.08 प्रतिशत) लाइसेंस आवेदन की कम प्राप्ति और नई सस्ती ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, जहां लाइसेंस शुल्क माफ किया गया, के कारण थी।
- **ब्याज प्राप्ति:** वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (12.30 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज की कम प्राप्तियों के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (13.81 प्रतिशत) विभागीय कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त अंकन की संक्षिप्त सूची तथा उत्पादन विंग का हरियाणा वन विकास निगम में विलय के कारण थी।
- **पुलिस:** वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि ट्रेफिक चालानों से प्राप्त अधिक राजस्व, अन्य सरकार से अधिक वसूली, साथ ही वित्तीय वर्ष में अन्य प्राप्तियों से अधिक राजस्व प्राप्तियों के कारण थी।
- अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए।

## 1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 19,156.02 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 3,223.75 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से

बकाया थे जो कि नीचे वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	17,595.10	2,758.65	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,690.43 करोड़ (9.60 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 323.70 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 02.61 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 114.42 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 3,063.78 करोड़ परिशोधन/समीक्षा/ अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 905.62 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 805.97 करोड़ विभाग द्वारा (अन्य कारणों से) वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 1,194.86 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 485.09 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 131.82 करोड़ था। ₹ 0.97 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 8,875.83 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	272.78	136.93	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 18.69 करोड़ (6.85 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.56 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 01.05 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 82.19 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण था। ₹ 0.03 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 170.26 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	257.24	120.38	₹ 256.24 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ एक करोड़ हरियाणा कॉन्कास्ट, हिसार के विरुद्ध लम्बित थे।
4.	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	205.62	147.96	₹ 165.44 करोड़ की वसूली (80.45 प्रतिशत) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 40.18 करोड़ की राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
5.	पुलिस	122.55	8.19	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 114.89 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69	₹ 3.18 करोड़ (27.20 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 8.50 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	691.04	39.95	₹ 359.45 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.55 करोड़ (0.07 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ चार लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 331 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	<b>योग</b>	<b>19,156.02</b>	<b>3,223.75</b>	

### 1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2017-18	2,54,927	2,67,172	5,22,099	2,09,688	3,12,411	40
	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44

वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया है कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता मात्र 44 थी।

#### 1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग कर अपवंचन का पता लगाने और तीसरे पक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध डीलर का निरीक्षण करने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करता है। विभाग ने नए करदाता को कर सीमा के दायरे में लाने के लिए व्यावसायिक परिसरों में सर्वेक्षण भी किया। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, जो निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2018 को लम्बित मामले	2018-19 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2019 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	55	1,541	1,596	1,578	12.90	18
2	राज्य उत्पाद शुल्क	396	6,669	7,065	6,647	6.67	418
योग		451	8,210	8,661	8,225	19.57	436

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के मामले में कमी तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में वृद्धि हुई है।

#### 1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2018-19 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2018-19 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग

द्वारा सूचित किया गया, जो निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	348	89.96	45	1.46
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,571	440.65	196	20.33
3.	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,592	461.46	212	21.15
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	327	69.15	29	0.64

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क में कम हुई है।

### 1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 261 यूनितों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 173 यूनितों (66 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि निम्न तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	143	143
राज्य उत्पाद शुल्क	22	22
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	96	8
योग	261	173

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

### 1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के

भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2019 के अन्त में 2,588 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 8,455.42 करोड़ से आवेष्टित 7,701 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ निम्न तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,302	2,446	2,588
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	6,430	6,915	7,701
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	5,869.33	6,577.52	8,455.42

1.7.1 30 जून 2019 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	365	3,356	6,264.25
		राज्य उत्पाद शुल्क	186	339	179.22
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	22	24	11.63
2.	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,097	2,599	387.75
		भू-राजस्व	138	175	0.79
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	418	579	36.44
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	8	8	0.79
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100	156	1,534.54
योग			2,588	7,701	8,455.42

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

### 1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	202	360.27
2	परिवहन विभाग	1	27	0.57
3	राजस्व विभाग	5	78	0.71
	<b>योग</b>	<b>12</b>	<b>307</b>	<b>361.55</b>

वर्ष 2018-19 के दौरान 1,087 अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 361.55 करोड़ के धन मूल्य वाले 307 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में 857 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 48.88 करोड़ के धन मूल्य वाले 206 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2017-18 में निपटान किए गए अनुच्छेदों (24 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान निपटान किए गए अनुच्छेदों की प्रतिशतता में वृद्धि (28 प्रतिशत) दर्शाई गई है।

### 1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 173.42 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 58,653 कर-निर्धारण फाईलों में से 265 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका 1.7.3 में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
<b>कर-निर्धारण मामले</b>			
भिवानी	2018-19	04	2.13
गुरूग्राम (पश्चिम)	2018-19	20	8.70
पानीपत	2018-19	02	-
नारनौल	2018-19	06	3.51
रेवाड़ी	2018-19	01	0.92
सिरसा	2018-19	172	92.82
बहादूरगढ़	2018-19	32	13.89
अंबाला कैंट	2018-19	26	47.80
फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	2	3.65
<b>योग</b>		<b>265</b>	<b>173.42</b>

इसके फलस्वरूप, उपर्युक्त डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) से संबंधित ₹ 173.42 करोड़ की राशि के 265 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

#### 1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में इंगित किया जाता है।

बाईस प्रारूप अनुच्छेदों (20 ड्राफ्ट अनुच्छेद में इकट्ठे किए गए) और एक निष्पादन लेखापरीक्षा को फरवरी 2019 और मार्च 2020 के मध्य संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। प्रारूप अनुच्छेदों में से किसी का भी और निष्पादन लेखापरीक्षा का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में प्रासंगिक स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

#### 1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में देरी की जा रही थी। तथापि, 31 मार्च 2016 तथा 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों के 39 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 27, परिवहन: 02, राजस्व: 08 तथा खदान एवं भू-विज्ञान: 02) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित है, प्राप्त नहीं हुई थी (जून 2019)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 24 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 24 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2018-19 की उनकी 78वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। **परिशिष्ट-II** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति की 22वीं से 78वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 1,034 सिफारिशें अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई, जो कि संबंधित विभागों/सरकार द्वारा की जानी थी, के अभाव में अभी तक लंबित थी।

## 1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में बिक्री कर/वैट के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

### 1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2019 को उनकी स्थिति परिशिष्ट-III में उल्लिखित है।

31 मार्च 2019 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2009-10 में 343 से 2018-19 में 351 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2009-10 में 1,523 से 2018-19 में 3,154 तक बढ़ गई थी। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

### 1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति परिशिष्ट-IV में दी गई है:

जबकि विभाग ने गत 10 वर्षों के दौरान ₹ 1,944.38 करोड़ के मूल्य की आपत्तियां स्वीकार की थीं, स्वीकृत राशि में से वसूल की गई राशि मात्र ₹ 3.73 करोड़ थी। गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में वसूली की प्रगति बहुत कम (0.19 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

## 1.9 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 526 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2018-19 के दौरान 276 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 275 इकाइयों<sup>9</sup> की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

<sup>9</sup> संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, लाखन माजरा (रोहतक) की एक नई यूनिट योजना में थी परंतु लेखापरीक्षा के समय यह कार्यरत नहीं थी।

### 1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन कर तथा अन्य विभागीय कार्यालयों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 526 यूनिटों में से 275 (राजस्व 273 + व्यय 02) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2018-19 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,836 मामलों में कुल ₹ 2,279.04 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,211 मामलों में आवेष्टित ₹ 948.12 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2018-19 के दौरान 304 मामलों में ₹ 13.29 करोड़ (1.40 प्रतिशत) वसूल किए थे।

### 1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 671.23 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित "स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कंप्यूटरीकरण की पहल" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 19 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 670.32 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 10.65 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 में चर्चा की गई है।

**अध्याय-2**  
**बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट**



## अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

### 2.1 कर प्रबंध

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2018-19 में 45 इकाइयों में से 39 इकाइयों (राजस्व: 37 और व्यय: 02) (कुल 2,02,773 निर्धारण मामलों में से 58,653 कर-निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,442 मामलों में ₹ 1,730.24 करोड़ कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कर का अवनिर्धारण	312	392.70
2.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	361	231.93
3.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	75	345.28
4.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	277	497.62
5.	अन्य अनियमितताएं	339	152.08
	<b>कुल (I)</b>	<b>1,364</b>	<b>1,619.61</b>
व्यय			
1.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	106.39
2.	अन्य अनियमितताएं	77	4.24
	<b>कुल (II)</b>	<b>78</b>	<b>110.63</b>
	<b>कुल योग (I+II)</b>	<b>1,442</b>	<b>1,730.24</b>


चार्ट 2.1

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.2

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 219 मामलों में आवेष्टित ₹ 547.10 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने वर्ष से संबंधित 61 मामलों में ₹ 0.75 करोड़ वसूल किए।

₹ 331.13 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.3 बिक्रियों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन

17 डीलरों ने ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री को छिपा दिया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.06 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 180.17 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे, रिटर्न या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

माल के जाली कर चालान या काल्पनिक लेखांकन जारी करके कर के अपवंचन को रोकने के लिए ई.टी.सी., हरियाणा ने एक वर्ष में एक ही वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के कुल बिक्री/खरीद के लेन-देनों के सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए (मार्च 2006)।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और दिसंबर 2018) ने प्रकट किया कि आठ<sup>1</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के कार्यालय में 19 मामलों में 17 डीलरों ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए अपनी तिमाही/वार्षिक रिटर्न में ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री नहीं दिखाई थी, यद्यपि क्रय डीलरों ने इन डीलरों से की गई खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा किया था। विभाग द्वारा बिक्री/खरीद लेन-देन वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे और कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में बिक्री के छिपाव के विवरण सत्यापित नहीं किए, परिणामस्वरूप ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ जिसमें ₹ 60.06 करोड़ का कर शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.06 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 180.17 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) और पानीपत ने बताया कि चार मामलों में ₹ 2.35 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी अंबाला ने सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। चार कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (जून 2018 तथा मार्च 2019) कि 10 मामलों में डीलरों को पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए गए थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया कि एक मामले में डी-नोवो निर्धारण आरंभ किया गया था। ई.टी.ओ.-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, करनाल ने बताया कि दो मामलों का निर्धारण किया गया था और ₹ 157.40 करोड़ के कर एवं पेनल्टी के उद्गृहण के लिए दंडात्मक कार्यवाही की गई थी और एक मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था।

मामला जुलाई 2018 एवं जनवरी 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जुलाई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

<sup>1</sup> अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), करनाल, मेवात तथा पानीपत।

विभाग, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के कुल बिक्री लेनदेनों का सत्यापन करे।

#### 2.4 खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

एक डीलर ने अपनी ₹ 3.81 करोड़ की खरीद को छिपा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.50 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किये जाने योग्य है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त 2017) कि वर्ष 2012-13 के लिए एक डीलर ने ₹ 9.70 करोड़ की बैटरियों की खरीद की, लेकिन ट्रेडिंग खातों में केवल ₹ 5.89 करोड़ की खरीद को लेखांकित किया। इस प्रकार, डीलर ने अपनी ₹ 3.81 करोड़ की खरीद को छिपा दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50<sup>2</sup> करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.50 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जनवरी 2020) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

मामला नवंबर 2017 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के कुल खरीद लेनदेनों का सत्यापन करे।

<sup>2</sup> छिपाव की राशि = ₹ 3,80,64,236 कर-योग्य राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर पर जमा कर राशि की 5 प्रतिशत दर पर सरचार्ज = ₹ 49,95,931

## 2.5 कैपिटल गुड्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर गलत ढंग से अनुमत इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 5.00 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल के संबंध में इनपुट टैक्स, उसे ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। माल, जो बिक्री के माध्यम से अन्यथा निपटाया जाता है, पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय है।

**2.5.1** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (मई 2017) कि एक डीलर, जो सिंथेटिक रबर उत्पादों का विनिर्माता था, ने एक ठेकेदार को भवन निर्माण का अनुबंध प्रदान किया। ठेकेदार ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान डीलर को ₹ 60.11 करोड़ के भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। डीलर ने भवन निर्माण सामग्री की खरीद पर ₹ 4.79 करोड़ की आई.टी.सी. का दावा किया। अगस्त 2013 और अगस्त 2014 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 8 में निहित प्रावधान के रूप में इनपुट टैक्स की स्वीकार्यता का सत्यापन किए बिना आई.टी.सी. के लाभ की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.79 करोड़ के पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. के अनुचित लाभ की अनुमति दी गई।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (मार्च 2019) कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए हैं।

**2.5.2** जैसा कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची ई में वर्णित है, के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है जब इन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला ने भी 2011 में अनुदेश जारी किए थे कि यदि पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ऐसे माल की खरीद पर भुगतान किए गए वैट के संबंध में आई.टी.सी. 'शून्य' होगा। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (फरवरी और सितंबर 2018) कि एक डीलर ने 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान ₹ 4.25 करोड़ का पेट कोक खरीदा और उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया तथा ₹ 0.21 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। मार्च 2017 और मार्च 2018 के मध्य इन मामलों में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने आई.टी.सी. अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के आई.टी.सी. की अतिरिक्त अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़<sup>3</sup> का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

<sup>3</sup> ₹ 13,73,304 X 2 X 1,239/(30X100) = ₹ 11,34,349  
 ₹ 7,51,770 X 2 X 1,231/(30X100) = ₹ 6,16,952  
 कुल = ₹ 17,51,301

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (फरवरी तथा सितंबर 2018) कि ये मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे।

मामला फरवरी 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा मार्च एवं मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता का सत्यापन करे।

## 2.6 बेचे न गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ड्यूटी एनटाईटलमेंट पास बुक की खरीद पर अदेय इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे की अनुमति दे दी, जो डीलर द्वारा बेची नहीं गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.75 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अधीन, माल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) सीधे माल की बिक्री पर या राज्य या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में उससे उत्पादित माल पर कर देयता के विरुद्ध अनुमत है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. तभी स्वीकार्य है, जब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को फिर से बिक्री के लिए खरीदा जाता है और यदि इनका उपयोग सीमा शुल्क के समायोजन के लिए किया गया हो तो आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (फरवरी 2018) कि वर्ष 2013-14 के दौरान एक डीलर ने ₹ 0.93 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 17.78 करोड़ मूल्य के ड्यूटी एनटाईटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) खरीदी। डीलर ने इन्हें अपने द्वारा देय सीमा शुल्क के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (डी.ई.पी.बी.) बेचा नहीं गया था, कोई भी आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं था। तथापि, मार्च 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने आई.टी.सी. की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.75 करोड़<sup>4</sup> का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी रेवाड़ी ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

मामला मई 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा अप्रैल 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग को फिर से बिक्री के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की खरीद को सत्यापित करना चाहिए न कि कस्टम ड्यूटी का समायोजन हेतु, ताकि सही आई.टी.सी. दिया जा सके।

<sup>4</sup> दो प्रतिशत की दर पर ब्याज (1/11/2013 से 03/03/2017)= ₹ 93.34.383X2X1213 =₹ 75,48,404  
100X30

## 2.7 परिगणना में गलती के कारण कर का अवनिर्धारण

**कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने परिगणना में गलती के कारण ₹ 26.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 18.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।**

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अधीन, कोई कराधान प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी समय, उसके द्वारा किसी भी मामले में पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के मध्य विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड पूर्णतया स्पष्ट किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए यदि चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**2.7.1** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रोहतक और सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जुलाई और सितंबर 2018) कि चार डीलरों ने 2014-15 के दौरान ₹ 14.48 करोड़ की बिक्री की। जनवरी और मार्च 2018 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 0.84 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 0.72 करोड़ के कर का निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.12 करोड़<sup>5</sup> के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.10 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी रोहतक और सोनीपत ने जुलाई और अक्टूबर 2018 के मध्य बताया कि इन मामलों का पुनर्निर्धारण किया गया था और ₹ 0.24 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

मामला फरवरी 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा मार्च 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

**2.7.2** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जनवरी 2019) कि एक डीलर ने 2014-15 के दौरान ₹ 221.04 करोड़ मूल्य

5

टी.आई.एन.	उद्ग्राह्य कर	उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत कर	ब्याज की राशि (राशि ₹ में)
06702818009	29,20,144	20,20,143	9,00,001	$9,00,001 \times 2 \times 1236/30 \times 100 = 7,41,600$
06813006752	43,86,785	42,80,989	1,05,796	$1,05,796 \times 2 \times 1229/30 \times 100 = 86,682$
06313013526	5,27,443	4,27,442	1,00,001	$1,00,001 \times 2 \times 1169/30 \times 100 = 77,934$
06143006878	5,45,143	4,54,143	91,000	$91,000 \times 2 \times 1232/30 \times 100 = 74,741$
<b>कुल</b>	<b>83,79,515</b>	<b>71,82,717</b>	<b>11,96,798</b>	<b>9,80,957</b>

की बिक्री की। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2018) कर-निर्धारण प्राधिकारी ने परिगणना की गलती के कारण ₹ 29.01 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 2.90 करोड़ के कर का निर्धारण किया और उस पर ₹ 20.94 करोड़ की बजाय ₹ 2.41 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.11 करोड़ के कर और ₹ 18.53 करोड़<sup>6</sup> के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (पश्चिम) ने अप्रैल 2019 में ₹ 44.64 करोड़ की मांग सृजित की थी।

मामला अप्रैल 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग सभी गणनाओं की जांच करना सुनिश्चित करे ताकि गलतियों से बचा जा सके।

## 2.8 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ डीलरों के कर की गलत दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दरें अनुसूची 'ए' से 'जी' तक के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत उपभोग्य माल के अतिरिक्त कोई भी उपभोग्य माल 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर-योग्य है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज देय है। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2017 और सितंबर 2018) ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>7</sup> के कार्यालय में नौ डीलरों के 10 मामलों में निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2017 से मार्च 2018) माल की बिक्री पर कर की लागू दर से कम दर पर निर्धारण किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	निर्धारण वर्ष/निपटान	उपभोग्य माल	राशि	उद्गृहीत कर	उद्गृहीत कर	कर का कम उद्ग्रहण	ब्याज	विभागीय उत्तर
1	फरीदाबाद (उत्तर)	528 दिनांक 31.10.17 2015-16	हरियाणा पर्यटन निगम कार्य	97,88,176	12,84,698	5,13,879	7,70,819	3,75,132	स्वतःकार्रवाई (मार्च 2019)
2	गुरुग्राम (उत्तर)	474 दिनांक 22.03.18 2014-15	ऑटो पार्ट्स	2,80,31,087	36,79,080	14,71,632	22,07,448	18,20,409	₹ 32,13,065 की मांग सृजित की गई (जुलाई 2019)

<sup>6</sup> उद्ग्राह्य ब्याज ₹ 20,94,04,495 - ₹ 2,41,41,138 (उद्गृहीत ब्याज) = ₹ 18,52,63,357

<sup>7</sup> फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (उत्तर), करनाल, जींद तथा पंचकुला।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	निर्धारण वर्ष/निपटान	उपभोग्य माल	राशि	उद्गृहीत कर	उद्गृहीत कर	कर का कम उद्ग्रहण	ब्याज	विभागीय उत्तर
3	करनाल	1208 दिनांक 21.03.17 2013-14	जौ माल्ट और माल्ट अर्क	4,35,49,422	57,15,862	22,86,345	34,29,517	28,25,922	स्वतःकार्रवाई (अप्रैल 2018)
4	गुरुग्राम (उत्तर)	1179 दिनांक 14.03.17 2013-14	बिस्किट, केक, टॉफी, चॉकलेट और कॉस्मेटिक आइटम	1,31,16,326	17,21,518	6,01,746	11,19,772	10,54,825	स्वतःकार्रवाई (अगस्त 2019)
5	गुरुग्राम (उत्तर)	42 दिनांक 16.03.17 2013-14	फिल्टर	2,96,13,996	38,86,837	15,54,735	23,32,102	13,46,400	स्वतःकार्रवाई (अगस्त 2019)
6	करनाल	1207 दिनांक 21.03.17 2013-14	तरल ग्लूकोज, माल्टो डैक्सट्रिन पाउडर, गैर-डेयरी क्रीम और नूडल्स	16,06,69,374	2,10,87,855	84,35,142	1,26,52,713	1,04,25,836	स्वतःकार्रवाई (अप्रैल 2018)
7	गुरुग्राम (उत्तर)	70 दिनांक 29.03.17 2013-14	पनीर	1,63,35,986	21,44,098	8,57,639	12,86,459	10,66,903	डीलर को नोटिस जारी किया गया है (दिसंबर 2018)
	गुरुग्राम (उत्तर)	496 दिनांक 27.03.18 2014-15	पनीर	2,44,86,490	32,13,852	12,85,541	19,28,311	15,96,642	-सम-
8	जौद	770 दिनांक 30.03.18 2014-15	पनीर	3,65,11,488	47,92,133	19,16,853	28,75,280	23,86,482	मामला आर.ए. (आई.) रोहतक को भेजा गया (अगस्त 2019)
9	पंचकुला	1387 दिनांक 28.03.17 2013-14	सुरक्षा प्रणालियाँ	24,85,05,160	3,26,16,302	1,30,46,521	1,95,69,781	1,62,16,825	पुनरीक्षण प्राधिकारी ने मामले में ₹ 1,95,69,781 की अतिरिक्त मांग का निर्णय लिया है। हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी डीलर की अपील खारिज कर दी।
कुल				61,06,07,505	8,01,42,235	3,19,70,033	4,81,72,202	3,91,15,376	

कर की गलत दर के परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (उत्तर) ने एक मामले में सूचित किया कि ₹ 32.13 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और दो मामलों में डीलरों को नोटिस जारी किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। डी.ई.टी.सी. पंचकुला ने सूचित किया कि एक मामले में ₹ 1.96 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। आगे, यह सूचित किया गया था कि शेष छः मामलों में मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

मामला अक्टूबर 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जनवरी 2020 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए मामलों की विस्तृत जांच करे कि सही कर दरें उद्गृहीत की जा रही हैं।

## 2.9 सकल टर्न ओवर में उत्पाद शुल्क को शामिल न किए जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 199.76 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 188.39 करोड़ के सकल टर्न ओवर का निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.22 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (जैड.जी.) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 'बिक्री मूल्य' का अर्थ किसी भी माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किसी डीलर को देय राशि है, बिक्री के समय किसी भी राशि को नकद या व्यापार छूट के रूप में अभ्यास, व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित, के अनुसार अनुमति दी जाती है, लेकिन डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी चीज के लिए किसी भी राशि का समावेश, जिसमें भाड़ा, भंडारण अवनमूल्यन, बीमा, हैंडलिंग प्रभार, उपकर, उत्पाद शुल्क, वजन, पैकिंग प्रभार, वारंटी, ड्राइंग और डिजाइनिंग, सेवा प्रभार और अन्य आकस्मिक व्यय के कारण कोई भी राशि शामिल होगी। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2018) ने प्रकट किया कि वर्ष 2014-15 के लिए डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय में एक डीलर के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) में ₹ 11.37 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने जी.टी.ओ. का निर्धारण गलत ढंग से ₹ 199.76 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 188.39 करोड़ के रूप में किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.22 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2018), कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जून 2019) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

मामला मार्च 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जुलाई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, उचित सकल टर्नओवर पर विचार करने के लिए जी.टी.ओ. में सभी आकस्मिक व्ययों को शामिल करते हुए निर्धारण के समय सभी निर्धारण अधिकारियों को अनुदेश जारी करे।

## 2.10 हैंडलिंग प्रभारों पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय हैंडलिंग प्रभारों पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (जैड.जी.) के अंतर्गत 'बिक्री मूल्य' का अर्थ किसी भी माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किसी डीलर को देय राशि है, बिक्री के समय किसी भी राशि को नकद या व्यापार छूट के रूप में अभ्यास, व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित, के अनुसार अनुमति दी जाती है, लेकिन डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी चीज के लिए किसी भी राशि का समावेश और अभिव्यक्ति "खरीद मूल्य" तदनुसार निर्धारित किया जाएगा। मैसर्स हिंसार ऑटोमोबाइल्स, हिंसार और विपुल मोटर्स, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में माननीय हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया कि ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा प्राप्त हैंडलिंग प्रभार बिक्री मूल्य का हिस्सा हैं तथा कर के लिए उत्तरदायी हैं (जुलाई 2017)। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज देय है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (फरवरी और अगस्त 2018) कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए एक ऑटोमोबाइल डीलर ने ₹ 1.71 करोड़<sup>8</sup> मूल्य की ऑटोमोबाइल बिक्री से प्राप्तियाँ और हैंडलिंग प्रभारों की प्राप्तियाँ दिखाईं। ऑटोमोबाइल, अवर्गीकृत होने के कारण सामान्य दर पर 12.5 प्रतिशत एवं सरचार्ज कर योग्य है। तथापि, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 2017 और फरवरी 2018) हैंडलिंग प्रभारों पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.18 करोड़<sup>9</sup> का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (फरवरी और अगस्त 2018) कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

मामला जून तथा अक्टूबर 2018 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा फरवरी 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, सभी कर-निर्धारण प्राधिकारियों को निर्धारण के समय विभाग द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों और न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के लिए अनुदेश जारी करे।

<sup>8</sup> 2013-14 = ₹ 74,73,912

2014-15 = ₹ 95,87,373

<sup>9</sup> ₹ 9,80,951 X 1,190 X 2% / 30 = ₹ 7,78,221

₹ 12,58,343 X 1,193 X 2% / 30 = ₹ 10,00,802

## 2.11 अवैध फार्म 'एफ' के विरुद्ध कर लाभ की अनुमति

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 43.84 करोड़ के शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (ए) (1) में प्रावधान है कि जहां कोई डीलर इस आधार पर कि ऐसे माल का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे में उसके व्यापार या उसके एजेंट या प्रमुख के किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के स्थानान्तरण के कारण घटित हुआ था, दावा करता है कि इस अधिनियम के अधीन वह कर के भुगतान करने का दायी नहीं है, इस प्रयोजन के लिए वह व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रमुख द्वारा हस्ताक्षित फार्म 'एफ' में एक घोषणा कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) को प्रस्तुत करे। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना या गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (परिहार्य कर का तीन गुणा/दावा किया गया हितलाभ) के लिए प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 को डीलरों के कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले ₹ एक लाख से अधिक के अंतःराज्यीय और अंतरराज्यीय लेन-देन को सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद और कैथल के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त और अक्टूबर 2018) कि 10 डीलरों ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए राजस्थान और दिल्ली में स्थित दो फर्मों को ₹ 43.84 करोड़ की राशि की उनकी शाखा स्थानान्तरणों/प्रेषण बिक्री पर छूट का दावा किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने राजस्थान और दिल्ली में स्थित अपनी-अपनी शाखाओं/एजेंटों से प्राप्त 73 'एफ' फार्म प्रस्तुत किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2017 और मई 2018 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और संबंधित अनुदेशों के अनुसार सत्यापन किए बिना प्रस्तुत घोषणाओं पर आधारित छूटों की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने ये 73 'एफ' फार्म सत्यापन के लिए राजस्थान और दिल्ली के संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिए। व्यापार और कर विभाग, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2019 में सूचित किया कि दो फर्मों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था (रद्द करने की तारीख 23 सितंबर 2015, 21 अप्रैल 2014 से प्रभावी) और एक फर्म द्वारा जारी किए गए 'एफ' फॉर्मों को रद्द करना प्रक्रियाधीन था (रद्द करने की तारीख प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किया गया है)। राजस्थान के संबंधित प्राधिकारियों ने सूचित किया कि दो फर्मों का पंजीकरण और उनके द्वारा जारी किए गए 'एफ' फॉर्मों को रद्द कर दिया गया था (रद्द करने की तारीख 31 मार्च 2017, 01 अगस्त 2013 से प्रभावी और रद्द करने की तारीख 01 अप्रैल 2013 से प्रभावी)। इस प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कर ₹ 2.30 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. कैथल ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि 20 अवैध 'एफ' फार्मों में ₹ 1.48 करोड़ की मांग सृजित की गई थी और शेष छ: 'एफ' फार्मों पर कार्रवाई विचाराधीन है। डी.ई.टी.सी. जौद ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि डीलर को दो 'एफ' फार्मों के लिए नोटिस जारी किया गया है और शेष 45 'एफ' फार्मों में मामले सत्यापनाधीन हैं।

मामला जनवरी 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा दिसंबर 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग विधिवत सत्यापन के बाद अंत:राज्यीय और अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ पर रियायत देने के अपने निर्देशों को कड़ाई के साथ लागू करे।

## 2.12 ब्याज का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 14 (6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (सितंबर और अक्टूबर 2018) कि दो डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ₹ 2,21,54,609 के देय कर के बदले ₹ 1,21,70,591 की राशि के कर का भुगतान किया। मार्च 2018 में वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़<sup>10</sup> के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

<sup>10</sup> कुल देय कर = ₹ 2,21,54,609 - ₹ 1,21,70,591 (भुगतान नहीं किया गया कर) = ₹ 99,84,018.  
ब्याज गणना का विवरण नीचे दिया गया है:

भुगतान नहीं किया गया कर	देरी से जमा किया गया कर दिनों में	उद्ग्रह्य ब्याज
₹ 99,84,018	415 से 1369 दिन	₹ 99,84,018X2%X1369/30 = ₹ 88,12,476
₹ 91,34,012	367 से 548 दिन	₹ 91,34,012X2%X548/30 = ₹ 27,12,651
<b>कुल</b>		<b>₹ 1,15,25,127</b>

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी अंबाला कैंट ने सितंबर 2018 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था तथा एक अन्य मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी अंबाला शहर ने सूचित किया कि डीलर को नोटिस जारी कर दिया गया था।

मामला अक्टूबर 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा अप्रैल 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए ब्याज राशि की वसूली सुनिश्चित करे।

### 2.13 कर-योग्य माल पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ₹ 6.03 करोड़ की बिक्री का कर-मुक्त बिक्री के रूप में निर्धारण किया, जिसमें ₹ 1.80 करोड़ का कर-योग्य माल शामिल था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.54 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iii) और (iv) के अंतर्गत अनुसूची 'सी' में वर्गीकृत माल 15 फरवरी 2010 से पांच प्रतिशत की दर पर कर-योग्य है तथा अवर्गीकृत माल 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर कर-योग्य है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी देय है। आगे, धारा 38 में झूठी सूचना या गलत लेखाओं या दस्तावेजों के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (परिहार्य कर/दावा किया गया हितलाभ तथा तीन गुणा पेनल्टी) के लिए प्रावधान है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जुलाई 2018) कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए डीलर के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 6.03 करोड़ की बिक्री का कर-मुक्त बिक्री के रूप में निर्धारण किया। तथापि, पंजाब के आबकारी और कराधान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से लेखापरीक्षा द्वारा किए गए क्रॉस सत्यापन ने प्रकट किया कि ₹ 1.80 करोड़ मूल्य के कॉस्मेटिक सामान, मोबाइल आदि की कर-योग्य बिक्री कुल बिक्री में शामिल थी। इस प्रकार, कर-मुक्त के रूप में ₹ 1.80 करोड़ के कर-योग्य माल की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़<sup>11</sup> के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.54 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी पंचकुला ने नवंबर 2018 में सूचित किया कि ₹ 3.17 करोड़ की मांग सृजित की गई थी।

मामला अक्टूबर 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

<sup>11</sup> ₹ 1,10,29,171 पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर-योग्य जमा सरचार्ज = ₹ 14,47,579 जमा ₹ 69,37,131 पर पाँच प्रतिशत की दर पर कर-योग्य जमा सरचार्ज = ₹ 3,64,199 कर का कुल योग = ₹ 18,11,778

विभाग इस बात की जांच करे कि क्या ऐसे और भी मामले हैं जहां कर छूट की अनुमति गलत तरीके से दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के संबंध में शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

#### 2.14 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के स्टॉक को छिपाने के लिए अदेय इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 14.27 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य के बाहर निर्यात, माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है तो ऐसा प्राधिकारी ऐसे डीलर को सुनवाई के उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किये जाने योग्य है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान तीन<sup>12</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (मई तथा अगस्त 2018) कि 10 डीलरों के 11 मामलों में, डीलरों ने अपनी ₹ 45.57 करोड़ की खरीद/बिक्री/स्टॉक को कम बताया और स्टॉक इत्यादि छिपाकर अदेय आई.टी.सी. का दावा करके ₹ 4.76 करोड़ के कर का अपवंचन किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने आई.टी.सी. को अस्वीकृत कर दिया/कर उद्गृहीत किया परंतु एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.27 करोड़ की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

मई और सितंबर 2018 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, आठ मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) तथा जींद ने सूचित किया (जुलाई 2018 से अगस्त 2019) कि ₹ 11.23 करोड़ की मांग/पेनल्टी लगाई गई/सृजित की गई और वसूली की कार्यवाही आरंभ की गई। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था और एक अन्य मामले में डीलर ने जे.ई.टी.सी. (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी (रोहतक) ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई थी।

12

क्र.सं.	डी.ई.टी.सी./ई.टी.ओ.	निर्धारित मामले	लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए मामले
1	गुरुग्राम (उत्तर)	8,892	2,361
2	जींद	5,695	1,559
3	रोहतक	6,305	1,580
	कुल	20,892	5,500

मामला अक्टूबर 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा दिसंबर 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राशि की वसूली सुनिश्चित करे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

## **अध्याय-3**

### **राज्य उत्पाद शुल्क**



## अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

### 3.1 कर प्रबंध

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सरकारी स्तर पर आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंस की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

दुकानों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को ई.टी.सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके प्रदर्शित किया जाएगा।

### 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 में राज्य आबकारी विभाग की 81 इकाइयों में से 25 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 576 मामलों में ₹ 45.72 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4,966.21 करोड़ के संग्रहण का 0.92 प्रतिशत) से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 3.1 में तालिकाबद्ध है।


तालिका 3.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	118	31.44
2	ठेकों के पुनः आवंटन पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	01	0.23
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	146	7.35
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	211	0.26
5	विविध अनियमितताएं	100	6.44
	<b>योग</b>	<b>576</b>	<b>45.72</b>

चार्ट 3.1

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 415 मामलों में आवेष्टित ₹ 30.13 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो वर्ष के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने 19 मामलों में आवेष्टित ₹ 35.00 लाख वसूल किए जिनमें से सात मामलों में वसूल किए गए ₹ 15.78 लाख इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 8.23 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

### 3.3 शराब का त्रैमासिक कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

**कोटा कम उठाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 3.3.1 के अनुसार एक लाइसेंसधारी निर्धारित त्रैमासिक सारणी के अनुसार उसकी दुकान के लिए आवंटित भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) का समग्र मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विफल रहने पर दंड के प्रावधानों का आह्वान किया जाता है। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का न उठाना, कम मात्रा के लिए क्रमशः आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 65 और ₹ 20 प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.) की दर पर पेनल्टी आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के चलन के दौरान दुकानों के आवंटन के मामले में, वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए त्रैमासिक कोटे की आवंटित कोटे से आनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों<sup>1</sup> के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अभिलेखों की अगस्त 2017 तथा फरवरी 2019 के मध्य संवीक्षा ने प्रकट किया कि 80 खुदरा दुकानों<sup>2</sup> के लाइसेंसधारियों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार निर्धारित त्रैमासिक कोटा नहीं उठाया:

विवरण	आई.एम.एफ.एल. पूफ लीटर में	सी.एल. पूफ लीटर में
मूल निर्धारित कोटा	15,56,124.10	75,37,609.10
उठाया गया कोटा	11,91,019.65	62,05,300.52
कम उठाया गया	3,65,104.45	13,32,308.58
उद्ग्राह्य पेनल्टी की दर	₹ 65	₹ 20
पेनल्टी की राशि	₹ 2,37,31,789	₹ 2,66,46,171.60

तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने कोटे के कम उठाए जाने के लिए पेनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) भिवानी तथा कुरुक्षेत्र ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 10.78 लाख की पेनल्टी की राशि लाइसेंसधारियों की प्रतिभूति में से वसूली/समायोजित की गई थी। सभी डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 4.93 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर 2017 तथा मार्च 2019 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

**विभाग त्रैमासिक कोटा के कम उठाने की एक अलग रिपोर्ट बनाने हेतु विचार करे।**

### 3.4 लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि हेतु 58 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 153.36 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण ₹ 3.19 करोड़ की हानि थी।

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि आई.एम.एफ.एल./सी.एल. की बिक्रियों की दुकानों के लिए लाइसेंस वाले प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त (10 बराबर किश्तों में बोली धन का 8.3 प्रतिशत) का भुगतान करेगा। ऐसा करने में विफलता से लाइसेंसधारी, माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किश्त या उसके किसी भाग के भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु

<sup>1</sup> भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), करनाल तथा कुरुक्षेत्र।

<sup>2</sup> दुकानों की संख्या = 80

	2016-17		2017-18	
	सी.एल.	आई.एम.एफ.एल.	सी.एल.	आई.एम.एफ.एल.
मूल निर्धारित कोटा	-	55,000	75,37,609.1	15,01,124.1
उठाया गया कोटा	-	45,084.71	62,05,300.52	11,45,934.94

उत्तरदायी होगा। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाइसेंस प्राप्त ठेके अगले माह के प्रथम दिन से बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतः सील बंद किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों<sup>3</sup> के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2017 तथा फरवरी 2019 के मध्य) ने प्रकट किया कि 58 लाइसेंसधारियों ने अप्रैल 2016 तथा मार्च 2018 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 153.36 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 152 दिनों की देरी के साथ किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, पांच डी.ई.टी.सीज<sup>4</sup> (आबकारी) ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 6.30 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 2.23 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) अंबाला तथा फरीदाबाद के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला नवंबर 2017 तथा मई 2019 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

**विभाग द्वारा देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की स्वचालित गणना की अंतर्निहित यंत्रावली के लिए विचार करे।**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

---

<sup>3</sup> अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम (पश्चिम), झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

<sup>4</sup> गुरुग्राम (पश्चिम), झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

**अध्याय-4**  
**स्टाम्प शुल्क**



## अध्याय-4: स्टाम्प शुल्क

### 4.1 कर प्रबंध

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव (एस.सी.एस.), राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

संपत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क एवं फीस के उद्ग्रहण के लिए करार में उल्लिखित संपत्ति का मूल्य या कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार दर, जो भी अधिक हो, को माना जाता है। स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) पांच प्रतिशत की दर पर उद्ग्रह्य है। नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित संपत्तियों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. उद्ग्रह्य है। महिलाओं के लिए दो प्रतिशत की छूट है। पंजीकरण शुल्क (आर.एफ.) लेन-देन मूल्य<sup>1</sup> पर आधारित विभिन्न दरों पर उद्ग्रह्य है।

स्टाम्प लेखापरीक्षक प्रत्येक जिले में तैनात है जो जिले में सभी एस.आर./जे.एस.आर. कार्यालयों को कवर करता है और उस जिले के प्रत्येक एस.आर./जे.एस.आर. में सभी दस्तावेजों/कार्यों की जांच करता है। यह विभाग द्वारा स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा तन्त्र है।

1

लेन-देन मूल्य (₹)	पंजीकरण फीस (₹)
1 से 50,000	100
50,001 से 1,00,000	500
1,00,001 से 5,00,000	1,000
5,00,001 से 10,00,000	5,000
10,00,001 से 20,00,000	10,000
20,00,001 से 25,00,000	12,500
25,00,001 से 30,00,000	15,000
30,00,001 से 40,00,000	20,000
40,00,001 से 50,00,000	25,000
50,00,001 से 60,00,000	30,000
60,00,001 से 70,00,000	35,000
70,00,001 से 80,00,000	40,000
80,00,001 से 90,00,000	45,000
90,00,000 से अधिक	50,000

#### 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2018-19 में राजस्व विभाग के 143 यूनिटों में से 107 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,800 मामलों में ₹ 72.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाईं जो तालिका 4.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 4.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	“स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	25.86
2.	अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	1,351	27.51
3.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की अवसूली/कम वसूली	194	15.02
4.	मुआवजा प्रमाण-पत्र/अधिगृहीत भूमि के मुआवजा प्रमाण-पत्र/बंधक विलेख संलग्न न करने से आवासीय भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	135	2.19
5.	विविध अनियमितताएं	119	1.99
	<b>योग</b>	<b>1,800</b>	<b>72.57</b>

चार्ट 4.1

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,030 मामलों में आवेष्टित ₹ 61.45 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने 100 मामलों में आवेष्टित ₹ 1.59 करोड़ वसूल किए जिनमें से 10 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.68 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 25.86 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी तरह के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।

### 4.3 स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल

#### विशिष्टताएं

- विभाग ने कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश, सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश और परिवर्तन प्रबंधन नीति/प्रक्रिया तैयार नहीं की थी।  
(अनुच्छेद 4.3.7.1)
- प्रणाली में व्यापार नियमों की मैपिंग की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।  
{अनुच्छेद 4.3.7.2 (क) से (घ)}
- स्वचालन के अभाव में अपूर्ण प्रणाली डिजाइन तथा मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया के लागू न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।  
(अनुच्छेद 4.3.7.3)
- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य पूरा नहीं हुआ था।  
(अनुच्छेद 4.3.10.2)
- आपदा की स्थिति में आई.टी. प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी।  
(अनुच्छेद 4.3.11)
- विभाग ने कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई है। इसके अभाव में, छुट्टी आदि के कारण उनकी अनुपस्थिति के दिन/दिनों पर विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को आबंटित यूजर आई.डी. का प्रयोग करते हुए 3,981 लेनदेन अप्राधिकृत रूप से बनाए/एक्सेस किए गए थे।  
(अनुच्छेद 4.3.12)
- पंजीकरण फीस की संशोधित दरों को देरी से लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।  
(अनुच्छेद 4.3.15)

### 4.3.1 प्रस्तावना

राज्य में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) तथा पंजीकरण फीस (आर.एफ.) उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए आई.एस. अधिनियम, आई.आर. अधिनियम, पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती है।


राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा राज्य इकाई (एन.आई.सी.-एच.एस.यू.) के माध्यम से वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य में "हरियाणा पंजीकरण सूचना सिस्टम (हैरिस)" को लागू किया। हैरिस के उद्देश्य में डाटा की गति, शुद्धता, पारदर्शिता, विवाद समाधान और ऑनलाइन प्रबंधन की परिकल्पना की गई है। हरियाणा भूमि अभिलेख सूचना सिस्टम (हैलरिस) को भी मुख्य रूप से भूमि अभिलेख<sup>2</sup> को कंप्यूटरीकृत करने के लिए लागू किया गया था (अगस्त 2003)। यूनिट स्तर पर स्थापित सर्वर पर होस्ट किए गए हैरिस और हैलरिस एप्लीकेशनों का उपयोग वितरित वातावरण में विभाग द्वारा किया गया था। हैरिस और हैलरिस एप्लीकेशनों को एक वेब-सक्षम वर्कफ्लो आधारित एकीकृत सिस्टम, जिसका नाम वेब-हैलरिस है, के साथ बदल दिया गया था (अप्रैल 2018), जो 142 तहसीलों/उप-तहसीलों में से 69 में क्रियाशील है (नवंबर 2019)।

विभाग ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) (2009) के अंतर्गत एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन सिस्टम विकसित करने के लिए भी पहल की, जिसे बाद में नाम बदलकर डिजिटल भारतीय भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.) कर दिया गया (2014-15)।

### 4.3.2 सिस्टम की स्थापना


वेब-हैलरिस एप्लिकेशन को विंडो प्लेटफॉर्म के साथ संगत करके एन.आई.सी.-एच.एस.यू. द्वारा डिजाइन किया गया था तथा क्लाउड/सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्यान्वित किया गया। फ्रंट एंड आउटलाइनिंग और वेब पेज एसपी.नेट और एमएस विजुअल बेसिक का उपयोग करके डिजाइन किए गए थे। डाटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट एमएस एसक्यूएल सर्वर में होस्ट किया गया था। नागरिक द्वारा किसी भी दस्तावेज के पंजीकरण के लिए वेब-हैलरिस में वर्कफ्लो निम्नानुसार है:

<sup>2</sup> खसरा गिरदावरी डाटा एंट्री, जमाबंदी, म्यूटेशन और नकल।



- दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अपॉइंटमेंट ई-पंजीकरण मॉड्यूल के माध्यम से बुक की जाती है ताकि अपॉइंटमेंट तिथि पर उपस्थित हो सकें।
- मूल विवरण, संपत्ति विवरण और पार्टी विवरण के बारे में जानकारी सिस्टम के माध्यम से कैप्चर की जाती है।
- सिस्टम अपने आप भूमि अभिलेखों से विक्रेता के कब्जे में हिस्से की पुष्टि करता है।
- सिस्टम, दस्तावेज के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस की देय राशि की गणना करता है।
- भुगतान का विवरण अर्थात् ई-स्टाम्प नंबर और ई-चालान सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- अंत में एस.आर./जे.एस.आर. के साथ विक्रेता, क्रेता और गवाह की तस्वीरों को कैप्चर किया जाता है और दस्तावेजों के नियमितीकरण के बाद यूनिक पंजीकरण नंबर प्रदान किया जाता है।

### 4.3.3 संगठनात्मक स्थापना



### 4.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई थी कि क्या:

- पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का स्वचालन और स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण कुशलतापूर्वक किया गया था;
- अभिलेख के समयबद्ध अद्यतन और इसके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अभिलेखों को प्रभावी ढंग से कम्प्यूटरीकृत किया गया था; तथा
- डाटा की पूर्णता, सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आई.टी. नियंत्रण थे।

#### 4.3.5 क्षेत्र एवं पद्धति

राज्य में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस और भू-राजस्व से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

छ: राजस्व मंडलों के अंतर्गत 22 जिलों में से आठ जिलों<sup>3</sup> का चयन किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 2014-15 से 2018-19 की अवधि को कवर करने के लिए उच्चतम राजस्व संग्रहण के आधार पर फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा आइडिया एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति पर शेष छ: जिलों का चयन किया गया था। आठ चयनित जिलों में 56 में से एस.आर./जे.एस.आर. के 20 कार्यालयों<sup>4</sup> को विस्तृत विश्लेषण के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त 20 में से आठ कार्यालयों को जिला मुख्यालय होने के कारण चुना गया था और शेष 12 कार्यालयों को आइडिया एप्लीकेशन का उपयोग करके स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति द्वारा चुना गया था। ए.सी.एस. और डी.जी.एल.आर./आई.जी.आर. के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों/डाटा की भी आवश्यकता पड़ने पर जांच की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी 2019 और जनवरी 2020 के मध्य आयोजित की गई जिसमें सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की पर्याप्तता का निर्धारण करके, व्यावसायिक नियमों की मैपिंग, आइडिया/टैब्लेयू का उपयोग करते हुए हैरिस और वेब-हैलरिस के डाटा के विश्लेषण द्वारा एप्लीकेशन नियंत्रणों की पर्याप्तता जैसी गतिविधियों को कवर किया गया। अभिलेख/डाटा/पंजीकरण की प्रक्रिया के अतिरिक्त, गिरदावरी, जमाबंदी, म्यूटेशन, क्षेत्र माप बुक आदि के अद्यतनीकरण की भी जांच की गई। हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ 07 फरवरी 2019 को एक एंटी कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के मानदंड और क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई थी।

मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सरकार/विभाग को जारी (मार्च 2020) की गई थी और मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) सहित विभाग/सरकार के साथ दिनांक 28 मई 2020 को एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उनके उत्तरों/विचारों पर विचार किया गया है और उपयुक्त रूप से इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

#### 4.3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किए गए थे:

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899;
- पंजीकरण अधिनियम, 1908;
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882;

<sup>3</sup> फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी और सोनीपत।

<sup>4</sup> धौज, फरीदाबाद, गोंछी (जिला-फरीदाबाद), गुरुग्राम, हरसरू, वजीराबाद (जिला-गुरुग्राम), हिसार, नारनौद, उकलाना (जिला-हिसार), पिहोवा, थानेसर (जिला-कुरुक्षेत्र), होडल, पलवल (जिला-पलवल), इसराना, पानीपत (जिला-पानीपत), धारुहेड़ा, मनेठी, रेवाड़ी (जिला-रेवाड़ी), गोहाना और सोनीपत (जिला-सोनीपत)।

- हरियाणा सरकार द्वारा उपयुक्त संशोधनों के साथ यथा अपनाया गया पंजाब स्टाम्प नियम, 1934;
- हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978;
- डिजिटल भारतीय भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम के दिशानिर्देश;
- पंजाब भूमि अभिलेख अधिनियम, 1887; तथा
- सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं और निर्देश।

### लेखापरीक्षा उपलब्धियां

#### 4.3.7 योजना और कार्यान्वयन

##### 4.3.7.1 दस्तावेज अपर्याप्त/तैयार नहीं किए गए

बेहतर प्रशासन के नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सक्षम सिस्टम का विकास करना सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण एक सूचना सिस्टम विकास परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करता है। एक प्रणाली के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए, यह आवश्यक है कि सिस्टम/यूजर आवश्यकता विनिर्देश (एस.आर.एस.), कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफ.आर.एस.), सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट (एस.डी.डी.), चेंज मैनेजमेंट आदि तैयार किए गए हैं और प्रलेखित किए गए हैं। एफ.आर.एस./एस.आर.एस. के अनुसार नए/उन्नत सिस्टम (वेब-हैलरिस) का अंतिम स्वीकृति परीक्षण करना अनिवार्य है।

विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि यह बताने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि आई.टी. सिस्टम/एप्लीकेशन के विकास के लिए किसी भी संरचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया या प्रलेखित किया गया था। किसी भी दस्तावेज के अभाव में, विभाग न तो सिस्टम के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी कर सका और न ही यह सुनिश्चित कर सका कि विभाग द्वारा मानवीय रूप से निष्पादित सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में शामिल किया गया था। इस प्रकार विभाग कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एन.आई.सी. पर काफी हद तक निर्भर था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि हैलरिस के लिए कोई भी एफ.आर.एस., एस.डी.डी. तथा एस.आर.एस. दस्तावेज यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेख में नहीं था कि उपयोगकर्ता आई.टी. सिस्टम के विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। यह देखा गया कि हैलरिस के लिए एस.आर.एस. तैयार किया गया था, लेकिन 2007 से सिस्टम में किए गए परिवर्तनों के लिए इसे अद्यतन नहीं किया गया था।

आगे लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने सिस्टम में किए गए सॉफ्टवेयर परिवर्तनों के परीक्षण के लिए न तो कोई समिति बनाई, न ही वेब-सक्षम एप्लिकेशन (वेब-हैलरिस) के विकास की आवश्यकता का निर्धारण करने वाले अंतर विश्लेषण का अध्ययन किया और न ही कम्प्यूटरीकृत आई.टी. सिस्टम के कार्यान्वयन से पहले किसी भी परीक्षण डाटा या परीक्षण रिपोर्टों का प्रलेखन किया। इसके अतिरिक्त, सिस्टम में किए गए परिवर्तनों को इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन से पहले किसी भी अनुमोदन को दिखाने के लिए प्रलेखित नहीं किया गया था। अप्रलेखन/अपर्याप्त प्रलेखन का मामला इंगित किया गया था (जनवरी 2020)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने विकास के प्रत्येक चरण में दस्तावेजों की तैयारी न करने के तथ्यों को स्वीकार किया। एग्जिट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने आगे बताया कि वेब-हैलरिस का परीक्षण किया गया था और परीक्षण रिपोर्ट और विभिन्न विकास पुनरावृत्तियों में किए गए परिवर्तनों को लेखापरीक्षा के साथ साझा किया जाएगा, तथापि, ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

अप्रलेखन/अपर्याप्त प्रलेखन के अतिरिक्त नीचे उल्लिखित अन्य कमियां देखी गई थी:

#### **परिवर्तन नियंत्रण तंत्र का अभाव**

किसी भी सूचना सिस्टम को सिस्टम के चल रहे रख-रखाव, रिकॉर्डिंग के लिए मानक पद्धति और सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए ठोस परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे प्रशासन में उचित स्तर पर अधिकृत करने की आवश्यकता होती है।

विभाग के अभिलेख की जांच से पता चला कि विभाग ने इस तरह के परिवर्तनों और परियोजना के जीवन चक्र के दौरान उन परिवर्तनों के प्रभाव विश्लेषण का अभिलेख रखते हुए सिस्टम में किए गए परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी नीति को तैयार और प्रलेखित नहीं किया था। प्रलेखन के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आवश्यक परिवर्तन समय पर और प्रभावी ढंग से संपन्न हुए थे या नहीं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि परिवर्तन प्रबंधन नीति तैयार और प्रलेखित नहीं की गई है। एन.आई.सी. ने बताया कि जब-जब सरकार के आदेश एन.आई.सी. को भेजे जाते हैं, तो जल्द से जल्द सिस्टम में अपेक्षित बदलाव किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सूचित किया कि परिवर्तन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।

#### **4.3.7.2 व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होना**

एक संगठन द्वारा आई.टी. वातावरण में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को रूपांतरित करते समय, आई.टी. सिस्टम में सभी आवश्यक कार्यों को मैप<sup>5</sup> करना आवश्यक है ताकि राजस्व के संग्रहण को सुरक्षित किया जा सके और मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके।

हैलरिस/वेब हैलरिस के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि अचल संपत्तियों के लेन-देन की कुछ श्रेणियों में एस.डी. और आर.एफ. के उद्ग्रहण से संबंधित व्यावसायिक नियमों को सही ढंग से मैप नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रणाली संपत्ति के अवमूल्यांकन को रोकने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप एस.डी. और आर.एफ. की कम वसूली/अवसूली हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

**(क) 1,000 वर्ग गज से कम भूमि क्षेत्र/भूमि के हिस्से के मामले में आवासीय दरों के आधार पर भूमि की लागत की स्वतः गणना सुविधा की कमी के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण**

व्यावसायिक नियम संख्या 5097 एस.टी.आर.-1-2000/विशेष दिनांक 14 जनवरी 2000 तथा विभाग के दिनांक 03 सितंबर 2013 को जारी स्थायी आदेश के अनुसार, 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र में बेची गई कृषि भूमि अथवा ऐसे मामले में जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं तथा

<sup>5</sup> व्यावसायिक नियमों की मैपिंग का अर्थ है लागू अधिनियम के प्रावधान, उनके अधीन बनाए गए नियम और समय-समय पर सरकार/विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश।

प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, पर एस.डी. एवं आर.एफ. लगाने के उद्देश्य से उस इलाके में आवासीय संपत्ति के लिए निर्धारित दर पर मूल्यांकन किया जाएगा। उपर्युक्त व्यावसायिक नियम के अनुसार, कृषि भूमि के प्रत्येक क्रेता के हिस्से को मान्य करने के लिए एप्लीकेशन में एक जांच को शामिल किया जाना चाहिए। यदि, इस तरह की हिस्सेदारी 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई अचल संपत्ति का मूल्यांकन आवासीय दरों के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। एप्लीकेशन में उपर्युक्त व्यावसायिक नियमों का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों (i से iii) में चर्चा की गई है:-

**(i) अचल संपत्तियों की बिक्री**

एप्लीकेशन और चयनित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच (दिसंबर 2017 से जनवरी 2020) के विश्लेषण से पता चला कि 18 एस.आर./जे.एस.आर.<sup>6</sup> कार्यालयों में, अचल संपत्तियों के 282 बिक्री विलेख (अगस्त 2015 और जनवरी 2019 के मध्य पंजीकृत), जिनमें प्रत्येक क्रेता का क्षेत्र/हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर ₹ 175.18 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 8.47 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 41.25 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों के आधार पर इन दस्तावेजों में अचल संपत्तियों का मूल्य ₹ 51.19 करोड़ निर्धारित किया और ₹ 2.41 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 22.13 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.25 करोड़ की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया कि 282 मामलों में से 138 मामलों को मूल्य या प्रतिफल तथा उन पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलेक्टर के पास भेजा गया था और उपर्युक्त में से एक मामला कलेक्टर द्वारा तय किया गया था किंतु वसूली लंबित थी। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया गया था कि शेष 144 मामलों को निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

**(ii) अचल संपत्तियों का विनिमय**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुसार, दो पक्ष अपनी अचल संपत्तियों का विनिमय कर सकते हैं और उसे श्रेणी 'विनिमय' के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, जिस पर उच्च मूल्य वाली संपत्ति के समान स्टाम्प शुल्क उद्ग्रह्य होगा।

चयनित इकाइयों के 120 विनिमय विलेखों/अभिलेखों के डाटा विश्लेषण और नमूना-जांच (जनवरी 2017 से जनवरी 2020) से पता चला कि 13 एस.आर./जे.एस.आर.<sup>7</sup> कार्यालयों में सितंबर 2015 और जनवरी 2020 के मध्य पंजीकृत अचल संपत्तियों, जिनमें प्रत्येक क्रेता का क्षेत्र/हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, के 32 विलेखों में विनिमय किया गया था तथा इसलिए ₹ 12.87 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 64.17 लाख का स्टाम्प

<sup>6</sup> धारुहेड़ा, धौज, फरीदाबाद, गोंछी, गोहाना, गुरुग्राम, हरसरू, हिसार, होडल, इसराना, मनेठी, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

<sup>7</sup> धौज, फरीदाबाद, गोंछी, गोहाना, हरसरू, हिसार, मनेठी, पलवल, पिहोवा, रेवाड़ी, सोनीपत, उकलाना और वजीराबाद।

शुल्क और ₹ 4.37 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने अचल संपत्तियों का मूल्य ₹ 2.95 करोड़ निर्धारित किया और ₹ 16.67 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 1.59 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 50.28 लाख की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) कि सात मामले कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 25 मामलों को अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

### (iii) अचल संपत्तियों का उपहार

चयनित इकाइयों के 435 उपहार विलेखों/अभिलेखों के डाटा और नमूना-जांच (जनवरी 2017 से मई 2019) के विश्लेषण से पता चला कि पांच एस.आर./जे.एस.आर.<sup>8</sup> कार्यालयों में अक्टूबर 2015 और फरवरी 2019 के मध्य पंजीकृत अचल संपत्तियों, जिनमें प्रत्येक क्रेता का क्षेत्र/हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, के सात दस्तावेजों में उपहार दिया गया था। इन विलेखों में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर ₹ 3.41 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 13.39 लाख का स्टाम्प शुल्क (एम.सी. क्षेत्र के भीतर मामलों में पाँच प्रतिशत और एम.सी. क्षेत्र के बाहर के मामलों में तीन प्रतिशत की दर से) और ₹ 0.95 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने अचल संपत्तियों का मूल्य ₹ 72.43 लाख निर्धारित किया और ₹ 5.89 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.61 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख<sup>9</sup> की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (अप्रैल 2019 से नवंबर 2019) कि एस.आर. पानीपत से संबंधित एक मामला कलेक्टर के पास भेजा गया था और शेष छः मामलों को अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. और विभाग ने स्वीकार किया कि व्यापार नियमों को प्रणाली में मैप नहीं किया गया था और आगे बताया कि विभाग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए एन.आई.सी. को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे।

सिस्टम में सरकार द्वारा जारी (नवंबर 2000) किए गए व्यावसायिक नियम की मैपिंग न करने के कारण 321 मामलों में ₹ 6.83 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

<sup>8</sup> मनेठी, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी और वजीराबाद।

<sup>9</sup>

विलेखों की संख्या	निर्धारित किए जाने वाला मूल्य (₹ करोड़ में)	उद्ग्राह्य एस.डी. (₹ लाख में)	उद्ग्राह्य आर.एफ. (₹ लाख में)	विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य (₹ लाख में)	उद्गृहीत एस.डी. (₹ लाख में)	उद्गृहीत आर.एफ. (₹ लाख में)	कमी (₹ लाख में)
7	3.41	13.38	0.95	72.43	5.88	0.61	7.84

**(ख) निर्मुक्त/हस्तांतरण विलेख में अनियमित छूट की अनुमति के कारण एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण**

पहली और दूसरी पार्टी के मध्य संबंधों को मान्य करने के उद्देश्य से, अधिसूचित अंतर-पार्टी संबंधों को कैप्चर के लिए एप्लीकेशन तैयार किया जाना चाहिए था। यह देखा गया था कि सिस्टम में अचल संपत्ति के लेन-देन में शामिल अंतर-पार्टी संबंधों को कैप्चर करने के प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि अनुच्छेद (i) और (ii) में चर्चा की गई है।

**(i) निर्मुक्त विलेख**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए में अनुच्छेद 55 के बारे में 2008 में हरियाणा सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि पैतृक संपत्ति का दस्तावेज बहन या भाई (परित्यक्त के माता-पिता के बच्चे) या परित्यक्त के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी या पोता-पोती या भतीजा या भतीजी या सहभागी<sup>10</sup> के पक्ष में निष्पादित होता है, स्टाम्प शुल्क ₹ 15 प्रति दस्तावेज की दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा और किसी अन्य मामले में वही शुल्क जो अचल संपत्ति की बिक्री के द्वारा हस्तांतरण के रूप में हिस्सा, हित, त्यागे गए दावे या भाग के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

चयनित इकाइयों के 2,412 निर्मुक्त विलेखों/अभिलेखों के डाटा और नमूना-जांच (जनवरी 2018 से जनवरी 2020) की संवीक्षा के दौरान पता चला कि 16 एस.आर./जे.एस.आर.<sup>11</sup> कार्यालयों में अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के मध्य पंजीकृत 78 मामलों में अचल संपत्तियों को सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमत के अतिरिक्त अन्य संबंधों के लिए जारी किया गया था तथा इसलिए ₹ 23.55 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 1.17 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 8.20 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 0.09 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.05 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) कि अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए 18 मामले कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 60 मामलों को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

**(ii) हस्तांतरण विलेख**

16 जून 2014 के सरकारी आदेश के अनुसार सरकार किसी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को छूट दे सकती है यदि यह मालिक द्वारा उसके जीवनकाल में किसी भी खून के रिश्तों जैसे माता-पिता, बच्चे, पोता-पोती, भाईयों, बहनों और पति/पत्नी के मध्य परिवार के भीतर अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो।

<sup>10</sup> एक व्यक्ति जिसे हिंदू अविभाजित परिवार से संपत्ति विरासत में मिली है।

<sup>11</sup> धारुहेड़ा, धौज, फरीदाबाद, गोहाना, गुरुग्राम, हिसार, इसराना, मनेठी, नारनौद, पलवल, पानीपत, पिहोवा, रेवाड़ी, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

एप्लिकेशन और चयनित इकाइयों के 16,999 हस्तांतरण विलेखों/अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2018 से दिसंबर 2020) की संवीक्षा से पता चला कि छः एस.आर./जे.एस.आर.<sup>12</sup> कार्यालयों में जनवरी 2017 तथा अक्टूबर 2018 के मध्य पंजीकृत 28 मामलों में अचल संपत्तियों को रक्त संबंधों के अलावा अन्य रिश्तेदार को हस्तांतरित किया गया था, इसलिए ₹ 10.79 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 70.44 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 2.60 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी ने ₹ 0.02 लाख का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.02 लाख की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (अप्रैल से दिसंबर 2019) कि अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए 16 मामले कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 12 मामलों को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने स्वीकार किया कि सिस्टम में अंतर पार्टी संबंध कैप्चर नहीं किए जा रहे थे और विभाग ने बताया कि इस संबंध में एन.आई.सी. को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

हस्तांतरण और निर्मुक्त विलेखों के मामले में सिस्टम में सरकारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत अनुमत संबंध की मैपिंग न करने के परिणामस्वरूप 106 मामलों में ₹ 1.98 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

**(ग) एप्लीकेशन में खसरा की मैपिंग न होना**

**(i) प्राइम दरों के साथ प्राइम खसरा**

हरियाणा सरकार ने अनुदेशों (नवंबर 2000) के अंतर्गत राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा लिंक सड़कों पर स्थित कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक भूमियों के खसरा नंबरों की पहचान करने का निर्देश दिया। आगे, यह भी निर्देश (अगस्त 2018) दिया गया था कि इन खसरा नंबरों को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण हेतु उन खसरों के लिए निर्धारित प्राइम दरों पर ऐसे खसरों का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

एप्लिकेशन और चयनित इकाइयों के 1,02,274 विलेखों/अभिलेखों की नमूना-जांच (फरवरी 2018 से जनवरी 2020) की संवीक्षा से पता चला कि सिस्टम में प्राइम खसरा जुड़ा नहीं था। आगे, छः एस.आर./जे.एस.आर.<sup>13</sup> कार्यालयों में यह देखा गया था कि अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के मध्य पंजीकृत 24 बिक्री विलेखों में अचल संपत्तियां प्राइम खसरा में स्थित थी, इसलिए प्राइम भूमि के लिए निर्धारित उच्च दरों के आधार पर ₹ 13.92 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 59.86 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 4.40 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, सिस्टम में प्राइम खसरा की मैपिंग न होने के कारण इन दस्तावेजों में गलत ढंग से सामान्य दरों के आधार पर अचल संपत्ति का मूल्य ₹ 10.35 करोड़ निर्धारित किया गया था और ₹ 45.24 लाख का स्टाम्प शुल्क और

<sup>12</sup> गोहाना, गुरुग्राम, नारनौद, सोनीपत, उकलाना और वजीराबाद।

<sup>13</sup> गोहाना, हिसार, होडल, पिहोवा, सोनीपत और थानेसर।

₹ 3.26 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.76 लाख की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे यह देखा गया था कि चार एस.आर.<sup>14</sup> कार्यालयों में प्राइम खसरा की पहचान नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (अगस्त 2019 से जनवरी 2020) कि छः मामले कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 18 मामलों को धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने बताया कि खसरा की मैपिंग न होने के कारणों की जांच की जाएगी।

### (ii) एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि का खसरा

सरकार द्वारा जारी 11 मार्च 2004 की अधिसूचना संख्या 9/33/2000-5ए-1 के अनुसार, एम.सी. सीमा के भीतर भूमि/संपत्ति की बिक्री के मामले में दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. उद्ग्राह्य है।

एस.आर. पानीपत के कार्यालय में एप्लीकेशन की संवीक्षा और अभिलेखों की नमूना-जांच (नवंबर 2019) के दौरान यह देखा गया था कि छः मामलों में, अप्रैल 2018 और मई 2018 के मध्य पंजीकृत लेनदेन वाली अचल संपत्तियों के खसरा नंबर एम.सी. के अंदर आते हैं। इन विलेखों का ₹ 1.76 करोड़ के लिए निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 10.34 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य था। तथापि, ₹ 6.80 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.54 लाख की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर एस.आर. पानीपत ने सूचित किया (नवंबर 2019) कि सभी मामलों को धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, यह सूचित किया गया था कि विभाग शहरी स्थानीय निकाय विभाग से एम.सी. क्षेत्र में आने वाले खसरा नंबर की सूची प्राप्त करेगा और इसे सॉफ्टवेयर में शामिल किया जाएगा।

सिस्टम में प्राइम दरों के साथ प्राइम खसरा की मैपिंग न होने और एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि के खसरा के परिणामस्वरूप 30 मामलों में ₹ 19.30 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

### (घ) अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस. अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी तथ्य एवं

<sup>14</sup> फरीदाबाद, गौँछी, नारनौंद और पलवल।

परिस्थितियां जो कि इस दस्तावेज में सामने रखनी अपेक्षित हैं; पूर्णतया एवं सत्यतः नहीं रखी गई है तो वह जुर्माने से दंडनीय है जो ₹ 5,000 प्रति दस्तावेज तक बढ़ सकता है।

हैरिस/वेब-हैलरिस एप्लीकेशन की संवीक्षा और चयनित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच (दिसंबर 2017 से जनवरी 2020) से यह पता चला कि 18 एस.आर./जे.एस.आर.<sup>15</sup> कार्यालयों में अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के मध्य पंजीकृत वाणिज्यिक/आवासीय भूमि के 158 बिक्री विलेखों में इस श्रेणी के लिए नियत दरों पर ₹ 509.83 करोड़ का निर्धारण किया जाना था तथा ₹ 20.22 करोड़ का एस.डी. और ₹ 26.72 लाख की आर.एफ. उद्ग्राह्य थी। तथापि, इन दस्तावेजों में अचल संपत्ति का मूल्य ₹ 108.70 करोड़ निर्धारित किया गया था जिस पर ₹ 6.73 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 20.88 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.55 करोड़<sup>16</sup> की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (मार्च 2019 से जनवरी 2020) कि 83 मामले आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 75 मामलों को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और सूचित किया कि 2019 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कैडस्ट्राल मानचित्रों के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्य आवंटित किया गया था और यह प्रगति पर था। परियोजना के पूर्ण होने के बाद, प्रत्येक संपत्ति को यूनीक आई.डी. नंबर दिया जाएगा और इस यूनीक आई.डी. नंबर का उपयोग करके संपत्ति का सटीक स्थान निर्धारित किया जा सकता है।

सिस्टम में पंजीकरण प्रक्रिया के साथ संपत्ति की श्रेणी/प्रकार की मैपिंग न होने के परिणामस्वरूप 158 मामलों में ₹ 13.55 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

#### 4.3.7.3 सिस्टम डिजाइन की कमी

हैरिस/वेब-हैलरिस एप्लीकेशन और डाटा के विश्लेषण की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि मुआवजे, पट्टे और विनिमय विलेख के मामलों में एस.डी. एवं आर.एफ. के उद्ग्रहण से संबंधित व्यावसायिक नियम के संबंध में सिस्टम डिजाइन अपूर्ण थे, जिसके परिणामस्वरूप एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि अनुच्छेद (i) से (iii) में चर्चा की गई है:

<sup>15</sup> धारुहेड़ा, धौज, फरीदाबाद, गाँछी, गोहाना, गुरुग्राम, हिसार, होडल, इसराना, मनेठी, पलवल, पानीपत, पिहोवा, रेवाड़ी, सोनीपत, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

<sup>16</sup>

विलेखों की संख्या	निर्धारित किए जाने वाला मूल्य (₹ करोड़ में)	संपत्ति मूल्य के 3 से 7 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य एस.डी. (₹ करोड़ में)	उद्ग्राह्य आर.एफ. (₹ लाख में)	विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य (₹ करोड़ में)	उद्गृहीत एस.डी. (₹ करोड़ में)	उद्गृहीत आर.एफ. (₹ लाख में)	कमी (₹ करोड़ में)
158	509.83	20.22	26.72	108.70	6.73	20.88	13.55

(i) स्टाम्प शुल्क की छूट

जनवरी 2011 को जारी सरकार के आदेश के अनुसार सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की जाती है और जो उनके द्वारा मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर राज्य में कृषीय भूमि खरीदते हैं। छूट मुआवजा राशि तक सीमित होगी और नियमानुसार कृषीय भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय होगी।

हैरिस/वेब-हैलरिस एप्लिकेशन की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि राशि की स्वीकार्यता, स्टाम्प शुल्क की छूट के लिए मुआवजा प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि और मुआवजा राशि के विरुद्ध आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के मामले में छूट को अस्वीकार करने के लिए उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण जानकारी को कैप्चर करने के लिए सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया गया था। चयनित इकाइयों के 1,02,274 विलेखों/अभिलेखों की आगे नमूना-जांच (नवंबर 2016 से जनवरी 2020) में पता चला कि 17 एस.आर./जे.एस.आर.<sup>17</sup> कार्यालयों में अप्रैल 2015 और जनवरी 2019 के मध्य पंजीकृत 32 विलेखों में मुआवजे की राशि से खरीदी गई भूमि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं थी। उल्लिखित मामलों में निम्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं:

ऐसे मामले जिनमें वाणिज्यिक/आवासीय भूमि खरीदी गई थी	ऐसे मामले जिनमें प्रत्येक क्रेता की भूमि/भूमि का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, के कारण आवासीय दरें उद्ग्रह्य थीं	ऐसे मामले जिनमें प्रमाण-पत्र या तो कम राशि के लिए संलग्न किया गया था या कटौती खरीदी गई भूमि के मूल्य से कम थी	ऐसे मामले जिनमें अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन किया गया था	कुल मामले
10	4	14	4	32

इन विलेखों पर ₹ 24.94 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 1.39 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 4.41 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। परंतु इन विलेखों पर ₹ 14.99 लाख के एस.डी. एवं आर.एफ. उद्ग्रह्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे यह देखा गया कि मई 2015 और जनवरी 2019 के मध्य पंजीकृत अन्य 22 विलेखों में स्टाम्प शुल्क में छूट की अनुमति दी गई थी, तथापि अभिलेख में कोई मुआवजा प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया था।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (मई 2019 से जनवरी 2020) कि 13 विलेख कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 41 मामलों को आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि भूमि अधिग्रहण डाटाबेस की अनुपस्थिति में, स्टाम्प शुल्क की छूट की राशि की स्वीकार्यता के बारे में जाँच सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं की जा सकी, तथापि ऐसे मामलों में आवेदक को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी मुआवजे के

<sup>17</sup> धारुहेड़ा, धौज, फरीदाबाद, गौँछी, गोहाना, इसराना, हरसरू, हिसार, नारनौंद, पलवल, पानीपत, पिहोवा, रेवाड़ी, सोनीपत, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

प्रमाण-पत्र को संलग्न करना अपेक्षित था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि न तो प्रणाली को पर्याप्त रूप से डिज़ाइन किया गया था, ताकि उन मामलों में स्टाम्प शुल्क की छूट को समाप्त किया जा सके, जहां सरकारी निर्देश (जनवरी 2011) में निहित शर्तें पूरी नहीं हुई थीं और न ही ऐसे मामलों में स्टाम्प शुल्क की छूट को समाप्त करने के लिए मैन्युअल सत्यापन के लिए कोई प्रभावी/मजबूत प्रक्रिया तैयार की गई थी।

**(ii) पट्टा विलेखों के लिए वार्षिक औसत किराए की गणना**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35, जो हरियाणा राज्य में भी लागू है, यह प्रावधान करती है कि पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क औसत वार्षिक किराए के आधार पर प्रभावी है। पट्टे पर स्टाम्प शुल्क 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक के लिए 3 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक एवं 20 वर्ष तक के लिए 6 प्रतिशत और 20 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक के लिए 9 प्रतिशत और 30 वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से प्रभावी किया जाता है।

हैरिस/वेब-हैलरिस एप्लिकेशन की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि सिस्टम को वार्षिक औसत किराए, जिस पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य था, की गणना के लिए किराए में वर्षवार/आवधिक वृद्धि को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। आगे, चयनित इकाइयों के 16,923 पंजीकृत पट्टा विलेखों में से 2,821 की नमूना-जांच (फरवरी 2018 से मई 2019) में पता चला कि 13 एस.आर./जे.एस.आर.<sup>18</sup> में मई 2016 और मार्च 2019 के मध्य पंजीकृत अचल संपत्तियों के पट्टे किराए के 42 विलेखों का मूल्यांकन वार्षिक औसत किराए के आधार पर ₹ 18.54 करोड़ के लिए किया गया था जिस पर ₹ 56.74 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 3.32 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, वार्षिक औसत किराया ₹ 15.06 करोड़ निर्धारित किया गया था और ₹ 30.87 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 2.83 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.35 लाख की राशि के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने सूचित किया (फरवरी 2019 से दिसंबर 2019) कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए चार मामले कलेक्टर के पास भेजे गए थे और शेष 38 मामलों को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग और एन.आई.सी. ने सूचित किया कि सॉफ्टवेयर में अपेक्षित प्रावधान किए जाएंगे।

**(iii) विनिमय विलेख में संपत्ति के उच्च मूल्य का निर्धारण न करना**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुसार, दो पक्ष अपनी अचल संपत्तियों का विनिमय कर सकते हैं और उसी को श्रेणी "विनिमय" के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, जिस पर एस.डी., उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति के समान उद्ग्राह्य है।

<sup>18</sup> धारुहेड़ा, गुरुग्राम, हरसरु, हिसार, मनेठी, नारनौंद, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, थानेसर, उकलाना और वजीराबाद।

नमूना-जांच किए गए कार्यालयों में हैरिस/वेब-हैलरिस एप्लिकेशन की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि एप्लीकेशन को विनिमय किए जाने हेतु अभिप्रेत दोनों अचल संपत्तियों के विवरणों को कैप्चर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, इसलिए सिस्टम स्टाम्प शुल्क के उद्देश्य के लिए उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति की पहचान करने में असमर्थ था।

इस प्रकार, इस सीमा तक सिस्टम में डिज़ाइन की कमी थी क्योंकि विनिमय किए जाने हेतु अभिप्रेत दोनों अचल संपत्तियों के विवरणों को कैप्चर करने के लिए कोई क्षेत्र सृजित नहीं किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग और एन.आई.सी. ने सूचित किया कि सॉफ्टवेयर में अपेक्षित प्रावधान किए जाएंगे।

इस प्रकार, अपूर्ण सिस्टम डिज़ाइन और स्वचालन के अभाव में मैन्युअल सत्यापन प्रक्रिया के अकार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 74 मामलों में ₹ 1.54 करोड़ के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

#### 4.3.8 स्टाम्प रिफंड की अपूर्ण/अप्रभावी सिस्टम/प्रक्रिया

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 54 में स्टाम्प के रिफंड के बारे में बताया गया है जो यह प्रावधान करता है (क) कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इनका उपयोग करने के इरादे से इस तरह के स्टाम्प या स्टाम्पस खरीदे गए थे; और (ख) कि उसने इसकी पूरी कीमत चुका दी है। आई.एस. अधिनियम, 1899 में यह प्रावधान भी किया गया था कि फॉर्म एस.आर.-1 को अपनी रसीद से वापसी चरण तक स्टाम्प वापसी में शामिल चरणों का ट्रैक रखने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है। यद्यपि, आई.एस. अधिनियम और आई.आर. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दस्तावेज़ पंजीकरण से संबंधित कार्यों को स्वचालित किया गया था, लेकिन स्टाम्प वापसी प्रक्रिया के स्वचालन के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। नमूना-जांच की गई छः<sup>19</sup> इकाइयों में स्टाम्प के रिफंड से संबंधित अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान निम्नलिखित कमियाँ देखी गई थी:

#### (i) निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव न करना

छः एस.डी.ओ.<sup>20</sup> (सिविल) के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह देखा गया था कि रिफंड प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों को रिकॉर्ड करने के लिए निर्धारित प्रारूप (फॉर्म एस.आर.-1) का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2019 से जनवरी 2020), संबंधित अधिकारियों ने बताया (नवंबर 2019 से जनवरी 2020) कि निर्धारित प्रारूप भविष्य में अपनाया जाएगा।

<sup>19</sup> फरीदाबाद, गोहाना, होडल, पलवल, पानीपत और सोनीपत।

<sup>20</sup> फरीदाबाद, गोहाना, होडल, पलवल, पानीपत और सोनीपत।

**(ii) स्टाम्प के वास्तविक खरीदार की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में रिफंड का भुगतान**

एस.डी.ओ. (सिविल) सोनीपत के कार्यालय में अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान (2018-19) यह देखा गया था कि दो मामलों में, ₹ 3.30 लाख की राशि के स्टाम्पस के रिफंड को स्टाम्प के वास्तविक खरीदार की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2019), एस.डी.ओ. (सिविल) सोनीपत ने (दिसंबर 2019) रिफंड के गलत क्रेडिट के तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया कि मामले की जांच की जाएगी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि रिफंड का भुगतान रिफंड के लिए आवेदन करने के समय दिए गए बैंक खाते में किया गया था क्योंकि ऑनलाइन भुगतान गेटवे दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार उस खाते का रिकॉर्ड नहीं रखती है जिससे नागरिक द्वारा भुगतान किया गया है।

तथापि, तथ्य यह है कि स्टाम्प के वास्तविक खरीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खातों में रिफंड किया गया था।

**(iii) पहले ही रिफंड किए गए स्टाम्प पेपर और जमा चालान के उपयोग को रोकने में विफलता**

यह जांच करने के लिए कि क्या पहले ही रिफंड किए गए स्टाम्प पेपर और जमा चालान के उपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित/स्वचालित तंत्र मौजूद है, लेखापरीक्षा ने एस.आर. पानीपत के कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से पार्टी के डमी विवरणों के साथ पहले ही रिफंड किए गए 14 स्टाम्प पेपरों का उपयोग करके डमी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए एक डमी अपॉइंटमेंट बुक करने का निर्णय लिया (नवंबर 2019)। यह देखा गया कि जब पहले ही रिफंड किए गए इन 14 स्टाम्प पेपरों का विवरण दर्ज किया गया तो सिस्टम ने 13 ई-स्टाम्प पेपर के संबंध में "पहले से ही डिफेस्ड" प्रदर्शित किया, इस प्रकार पहले ही रिफंड किए गए ई-स्टाम्पस को अननुमत कर दिया, लेकिन पहले ही रिफंड किए गए ₹ 25,000 मूल्य वाले एक ई-स्टाम्प नंबर "क्यू0272017एल41" को स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए सिस्टम द्वारा स्वीकार किया गया था।

आगे, सिस्टम ने डमी विलेख के पंजीकरण के संबंध में पंजीकरण फीस के भुगतान के लिए ₹ 25,000 की राशि के साथ पहले ही उपयोग किए गए चालान, जी.आर.एन. नंबर 47972435 (संपत्ति डीलर को लाइसेंस जारी करने के लिए किए गए उपयोग) का उपयोग करने की अनुमति दी। इस प्रकार, यह सिस्टम पहले से रिफंड किए गए ई-स्टाम्प पेपर और जमा किए गए चालान के उपयोग का पता लगाने/अस्वीकार करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2019) एस.आर. पानीपत ने उपर्युक्त वर्णित अनुसार प्रणाली की विफलता के बारे में तथ्यों को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और सूचित किया कि लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत इसके कारणों की जांच की जाएगी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग और एन.आई.सी. ने बताया कि अपॉइंटमेंट मॉड्यूल में ई-स्टाम्प की स्थिति की जांच करने का प्रावधान शामिल किया गया था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उपर्युक्त मामले में, पंजीकरण फीस के भुगतान के लिए स्टाम्प शुल्क और ई-चालान के भुगतान के लिए अपॉइंटमेंट के समय सिस्टम ने पहले ही उपयोग किए गए ई-स्टाम्प को ब्लॉक नहीं किया। इसलिए, पंजीकरण प्रक्रिया में पहले से ही वापस किए गए स्टाम्प पेपर और जमा चालान के उपयोग की संभावना है। लेखापरीक्षा की राय में, पहले से उपयोग किए गए/रिफंड किए गए ई-स्टाम्प पेपर की स्वचालित ब्लॉकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और विफलता के पृथक उदाहरण ही ई-स्टाम्प अवरोधन कार्यक्षमता की मजबूती और अखंडता पर संदेह करते हैं।

रिफंड की त्रुटिपूर्ण प्रणाली/प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निर्धारित फार्म में अभिलेखों का रखरखाव न करना, स्टाम्प के वास्तविक खरीदार की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में स्टाम्प रिफंड के भुगतान की अनुमति और विलेखों के पंजीकरण में एस.डी. एवं आर.एफ. के भुगतान हेतु क्रमशः पहले ही रिफंड किए गए स्टाम्प पेपर और जमा किए गए चालान के उपयोग की अनुमति हुई।

#### 4.3.9 अपर्याप्त एप्लीकेशन नियंत्रण

एप्लीकेशन नियंत्रण, विशेष रूप से एक एप्लीकेशन के लिए होते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि सभी लेन-देन वैध, अधिकृत, पूर्ण तथा रिकॉर्ड किए गए हैं।

##### 4.3.9.1 ई-पंजीकरण मॉड्यूल

विभाग ने नागरिकों को पारदर्शिता और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ई-पंजीकरण मॉड्यूल लागू किया (फरवरी 2015)। मॉड्यूल का उद्देश्य पंजीकरण प्रलेखन के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में निर्धारित समय-सीमाओं का कार्यान्वयन करना तथा सिस्टम से बिचौलियों को हटाना था।

सिस्टम के माध्यम से अपॉइंटमेंट को सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऑन-लाइन या नागरिक सेवा केंद्र/ई-दिशा केंद्र द्वारा बुक किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने वाले के आई.डी. नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जिस व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट बुक किया था, वह वास्तव में पंजीकरण प्रक्रिया के लिए उपस्थित हुआ था, जिसके लिए अपॉइंटमेंट बुक किया गया है। यह आई.डी. नंबर एक अपॉइंटमेंट के विरुद्ध दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय सत्यापित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस नागरिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक की गई थी, वह वास्तव में दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपस्थित हुआ था। जारी किए गए अपॉइंटमेंट स्लॉट को अपॉइंटमेंट बुक करते समय उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. भेजकर सूचित किया जाता है।

ई-पंजीकरण प्रणाली से संबंधित डाटा के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि अप्रैल 2015 से जून 2019 तक दस्तावेज़ों के पंजीकरण के लिए राज्य में 29,67,390 अपॉइंटमेंट्स बुक की गई थी। आगे, डाटा के विश्लेषण ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

**(i) इनपुट नियंत्रण की कमी**

इनपुट नियंत्रण वे नियंत्रण हैं जो सत्यापन जांचों, डुप्लिकेट जांचों और अन्य संबंधित नियंत्रणों को लागू करके गलत डाटा प्रविष्टि के जोखिम को कम करते हैं। ये संभावित इनपुट गलतियों का पता लगाने और उन्हें सही करने का शीघ्रतम अवसर प्रदान करते हैं। ई-पंजीकरण मॉड्यूल में कैप्चर किए गए डाटा की जांच के दौरान निम्नलिखित अभ्युक्तियां देखी गई थीं:

- 18,922 और 4,93,864 अपॉइंटमेंट चाहने वालों के क्रमशः पैन और आधार विवरण अवैध थे।
- 1,64,074 अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए उपयोग किए गए 1,262 फोन नंबर मानकीकृत नहीं थे, जिन्हें सिस्टम ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, अतः अवैध थे।
- 119 मामलों में अपॉइंटमेंट की आवंटित की गई तिथि उस तिथि से पहले की थी जब बुकिंग का अनुरोध किया गया था।
- 6,784 दस्तावेजों को उस तारीख से पहले पंजीकृत होना दिखाया गया था जिस पर अपॉइंटमेंट नियत की गई थी।
- 1,097 दस्तावेजों को उस तारीख से पहले वितरित होना दिखाया गया था जिस पर पंजीकरण किया गया था।

इस प्रकार, ई-पंजीकरण प्रणाली में इनपुट नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय डाटा को कैप्चर करना और स्वीकार करना पड़ा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने बताया कि भविष्य में एन.एस.डी.एल. पोर्टल से पैन को मान्य करने के लिए ई पंजीकरण प्रणाली में प्रावधान किया जाएगा। आई.डी. के रूप में आधार अनिवार्य नहीं था, ई-पंजीकरण का डाटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं था इसलिए यह जानकारी एन्क्रिप्ट नहीं की गई थी। तथापि, आधार नंबर की कैप्चरिंग और स्टोरेज के सभी चरणों में इस जानकारी को एन्क्रिप्ट करने के लिए एप्लिकेशन को संशोधित किया जाएगा।

**(ii) एकल मोबाइल नंबर पर कई अपॉइंटमेंट**

ई-पंजीकरण मॉड्यूल से संबंधित डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 28,03,316 अपॉइंटमेंट में से, 9,07,854 आवंटित अपॉइंटमेंट को 3,105 मोबाइल नंबरों का उपयोग करके बुक किया गया था और प्रत्येक मोबाइल नंबर का उपयोग 50 तथा 8,559 के मध्य अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए किया गया था।

आगे, यह भी देखा गया कि सिस्टम में सत्यापन के लिए ओ.टी.पी. भेजकर अपॉइंटमेंट मांगने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने में प्रणाली सक्षम नहीं थी इसलिए प्रक्रिया में अपॉइंटमेंट मांगने के लिए पारदर्शिता और बिचौलियों को हटाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका, इस प्रकार, ई-पंजीकरण मॉड्यूल के पास न तो मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने और न ही एक मोबाइल से बुक की गई अपॉइंटमेंट की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए कोई वैधता नियंत्रण था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए थे ताकि एक मोबाइल नंबर से केवल पांच अपॉइंटमेंट बुक किए जा सकें और अपॉइंटमेंट चाहने वाले नागरिक के मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. भेजा जा रहा था।

### (iii) व्यावसायिक घंटों से परे पंजीकरण प्रक्रिया

ई-पंजीकरण डाटा की जांच के दौरान यह देखा गया था कि 2015-16 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 25,33,686 पंजीकृत दस्तावेजों में से 3,51,347 की पंजीकरण प्रक्रिया सायं 07.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे के मध्य थी। आगे, 2,888 दस्तावेज शनिवार और रविवार को पंजीकृत किए गए थे। इसलिए यह स्पष्ट था कि लॉगिन एक्सेस समय पर कोई नियंत्रण नहीं था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि रजिस्ट्री को केंद्रीयकृत सर्वर से लॉगिंग-ऑफ करके सायं 05.00 बजे के बाद वेब-हैलरिस प्रणाली में प्रतिबंधित कर दिया गया था। बी.पी.एल. विलेखों की रजिस्ट्री शनिवार और रविवार को एक-बारगी अभ्यास के रूप में की गई थी।

### 4.3.9.2 पैन को कैप्चर न करना

आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 114-बी में यह प्रावधान है कि ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के विक्रेता/क्रेता के पैन विवरण उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

20 एस.आर./जे.एस.आर. में वेब-हैलरिस डाटाबेस की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए प्रणाली में पैन विवरण भरना अनिवार्य नहीं था, इसलिए 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान पंजीकृत ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य वाले 1,83,316 विलेखों में से 1,60,428 विलेख विक्रेता/क्रेता के आवश्यक पैन विवरणों का उल्लेख किए बिना पंजीकृत किए गए थे।

यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) सभी 20 एस.आर./जे.एस.आर. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) और सूचित किया कि प्रणाली में पैन की विशेषताओं को अनिवार्य बनाया जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग और एन.आई.सी. ने बताया कि सॉफ्टवेयर में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

### 4.3.9.3 वसूले गए स्टाम्प शुल्क की अवैधता

एप्लीकेशन उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क की देय राशि की गणना करती है और स्टाम्प शुल्क की कम राशि, यदि कोई हो, दिखाई जाती है और ई-स्टाम्पस के माध्यम से भुगतान किया जाना अपेक्षित है। सिस्टम एस.डी. एवं आर.एफ. की देय राशि के भुगतान के बिना विलेख को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं देता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान है कि विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे दस्तावेज को, जो शुल्क से प्रभार्य है, साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, या ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी जन अधिकारी द्वारा उसको कार्यान्वित, पंजीकृत या प्रमाणीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक वह दस्तावेज यथाविधि स्टाम्पित न हो।

पांच एस.आर./जे.एस.आर.<sup>21</sup> कार्यालयों में वेब-हैलरिस के डाटा और पंजीकरण अभिलेख की जांच (फरवरी 2019 से जनवरी 2020 के मध्य) के दौरान, यह देखा गया था कि जून 2016 और फरवरी 2019 के मध्य पंजीकृत अचल संपत्तियों के 55 बिक्री विलेखों में, यद्यपि सिस्टम ने भुगतान किए जाने के लिए स्टाम्प शुल्क की देय राशि के रूप में ₹ 38.53 लाख का आकलन किया किंतु इन विलेखों को ₹ 31.16 लाख की राशि के स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत करने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.36 लाख की राशि के कम स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई। इस प्रकार इस संबंध में एप्लीकेशन नियंत्रण पर्याप्त नहीं था ताकि स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान के साथ दस्तावेजों के पंजीकरण को रोका जा सके और इन दस्तावेजों को किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दस्तावेज यथाविधि स्टाम्पित न हो।

यह इंगित किए जाने पर (फरवरी 2019 से जनवरी 2020) एस.आर. फरीदाबाद ने सूचित किया (दिसंबर 2019) कि स्टाम्प शुल्क की कमी की राशि की वसूली की जाएगी और शेष एस.आर.<sup>22</sup> ने सूचित किया (नवंबर 2019 से जनवरी 2020) कि मामले की जांच की जाएगी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग और एन.आई.सी. ने बताया कि इन मामलों की जांच की जाएगी।

#### 4.3.10 भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

##### 4.3.10.1 म्यूटेशन की संस्वीकृति में विलंब

एन.एल.आर.एम.पी. कार्यक्रम को भूमि अभिलेखों से संबंधित कार्यों को गति देने के इसके एक उद्देश्य के साथ वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया था जिसमें म्यूटेशन का सत्यापन और अनुमोदन भी शामिल था, इसके सत्यापन से 15 दिनों के भीतर म्यूटेशन को मंजूरी देनी भी आवश्यक है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदारों के 17 कार्यालयों में म्यूटेशन से संबंधित डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान म्यूटेशन की संस्वीकृति में विलंब निम्नानुसार थे:

जिले का नाम	कुल म्यूटेशन की संख्या	01 वर्ष से कम के विलंब के साथ संस्वीकृत म्यूटेशन	01 से 03 वर्ष के विलंब के साथ संस्वीकृत म्यूटेशन	03 वर्ष से अधिक के विलंब के साथ संस्वीकृत म्यूटेशन
हिसार	37,738	3,450	53	13
फरीदाबाद(2)	14,693	3,153	76	50
पलवल	9,419	1,957	78	90
पानीपत	70,397	9,928	176	186
सोनीपत	47,426	9,050	166	56
कुरुक्षेत्र	40,787	4,110	36	05
रेवाड़ी	14,969	1,748	24	11
गुरग्याम(9)	51,936	9,899	203	124
<b>कुल</b>	<b>2,87,365</b>	<b>43,295</b>	<b>812</b>	<b>535</b>

<sup>21</sup> फरीदाबाद, गोंछी, पलवल, पानीपत और सोनीपत।

<sup>22</sup> गोंछी, पलवल, पानीपत और सोनीपत।

44,107 (15 प्रतिशत) म्यूटेशनों को 03 वर्ष तक के विलंब के साथ संस्वीकृति दी गई थी, जिसके कारण नागरिक, सेवाओं के समय पर वितरण से वंचित थे।

यह इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2019), कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2020)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, अपर सचिव ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

#### 4.3.10.2 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य का पूरा न होना

पंजीकरण और भूमि अभिलेख प्रणाली में प्रभावशीलता, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, अभिलेखों के अधिकार (आर.ओ.आर.) के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) शुरू किया गया था (2009)। एन.एल.आर.एम.पी. का मुख्य घटक भूमि अभिलेखों जैसे कि खसरा, गिरदावरी, डाटा एंट्री, जमाबंदी, म्यूटेशन और नकल का कम्प्यूटरीकरण था और इसमें भूस्खलन मानचित्रों का डिजिटलीकरण और अभिलेखों के अधिकार के साथ इसका जुड़ाव, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, आधुनिक अभिलेख कक्षाओं/भूमि अभिलेख प्रबंधन केंद्रों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि शामिल थे। इस योजना के अंतर्गत कार्य 31 दिसंबर 2011 तक पूरा किया जाना था।

डी.जी.एल.आर. के कार्यालय में अभिलेख की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य जैसे कि खसरा गिरदावरी, डाटा एंट्री, जमाबंदी, म्यूटेशन और नकल को डिजिटल किया गया था। तथापि, अन्य कार्य जैसे फील्ड माप पुस्तक, विलेखों, सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण का डिजिटलीकरण और कैडस्ट्राल मानचित्र का डिजिटलीकरण कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि से आठ वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ था।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2019), विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि विक्रेता जिला न्यायालय में चले गए (2016) और निर्णय न्यायालय के पास लंबित है। तथापि हरियाणा सरकार ने एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना (हरियाणा भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत 08 मार्च 2019 को भारतीय सर्वेक्षण के साथ एक और समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्तर से पता चलता है कि कार्य पूरा होने की अभिप्रेत तिथि (दिसंबर 2011) से आठ वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी नागरिक अभिप्रेत उद्देश्य का लाभ नहीं ले सके।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया कि कार्य को सर्वे ऑफ इंडिया को आवंटित किया गया था और उसी पर काम चल रहा था।

#### 4.3.10.3 क्षेत्र माप पुस्तकों (एफ.एम.बी.) का डिजिटलीकरण न करना

एन.एल.आर.एम.पी. में एफ.एम.बी.<sup>23</sup> के डिजिटलीकरण के लिए प्रावधान है जो सीमा-विवाद की जांच, अतिक्रमणों का पता लगाने आदि में मदद करता है, जिससे एफ.एम.बी. के स्केच को उच्च स्पष्टता के साथ संशोधित किया जाता है और त्वरित वितरण सुनिश्चित होता है।

20 तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों के कार्यालयों में भूमि अभिलेख की जांच के दौरान यह देखा गया था कि क्षेत्र माप पुस्तकों को डिजिटल नहीं किया गया था और मानवीय रूप से तैयार और रखरखाव किया गया था। इस प्रकार, नागरिकों को कार्यक्रम के अभिप्रेत लाभ से वंचित किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020), सभी एस.आर./जे.एस.आर. ने एफ.एम.बी. के गैर-डिजिटलीकरण के तथ्य को स्वीकार किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि क्षेत्र माप पुस्तक के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्य आधुनिक राजस्व अभिलेख परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा था।

#### 4.3.10.4 विलेखों का डिजिटलीकरण न करना

एन.एल.आर.एम.पी. दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 2.3 और 2.4 (ii) में विलेख की स्कैनिंग, वर्तमान और पुराने विलेखों के डिजिटल अनुक्रमण का प्रावधान है ताकि नागरिकों को अचल संपत्तियों के विवरणों की स्वचालित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

20 एस.आर./जे.एस.आर. के कार्यालयों में स्कैन किए गए विलेखों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि 2014-15 की अवधि से पहले के विलेखों को बिल्कुल भी स्कैन नहीं किया गया था और उसके बाद की अवधि के विलेखों की स्कैनिंग भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इस प्रकार, नागरिकों को भूमि का विवरण प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से भौतिक रूप से संपर्क करना पड़ता था।

यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020), संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. ने विलेखों की स्कैनिंग और अनुक्रमण की कमी के तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि आधुनिक राजस्व अभिलेख परियोजना के हिस्से के रूप में विलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्य किया जा रहा था।

#### 4.3.11 आपदा वसूली योजनाओं की गैर मौजूदगी

व्यावसायिक निरंतरता एवं आपदा रिकवरी योजना और संबंधित नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर सुविधाओं के अस्थायी या स्थायी नुकसान के लिए रुकावट या आपदा की स्थिति में, संगठन अभी भी अपने मिशन को पूरा कर सकता है और यह अनुरक्षित जानकारी को प्रोसेस करने, पुनः प्राप्त करने और सुरक्षित करने की क्षमता को कमजोर नहीं करेगा।

ए.सी.एस. के कार्यालय में अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान, यह देखा गया था कि न तो व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली की योजना तैयार की गई थी और न ही स्रोत दस्तावेजों

23

व्यक्तिगत क्षेत्रों और उपखंडों के माप का अभिलेख रखता है।

को बनाए रखने के लिए आपदा की स्थिति में व्यापार को वापस लाने के लिए दिशा-निर्देश, आपातकालीन प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और वसूली प्रक्रिया को बनाए रखा गया था ताकि डाटा प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य हो और आपदाओं के मामले में पुनर्निर्माण की सुविधा प्रदान करे।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2020), विभाग ने आपदा रिकवरी सर्वर की स्थापना नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया (फरवरी 2020)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि वेब-हैलरिस के लिए डी.आर. साइट प्रदान करने हेतु आई.टी. विभाग से अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार, आपदाओं के मामले में आई.टी. संपत्तियों की देखभाल के लिए व्यापार निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी।

#### 4.3.12 पासवर्ड नीति का अस्तित्व न होना

पर्याप्त तार्किक पहुंच सुरक्षा का अस्तित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां एक संगठन व्यापक क्षेत्र नेटवर्क और वैश्विक सुविधाओं जैसे कि इंटरनेट का उपयोग करता है। पासवर्ड की प्रभावशीलता के लिए उपयुक्त पासवर्ड नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। पासवर्ड नीति और प्रक्रिया की जानकारी सभी कर्मचारियों को होनी चाहिए और उनके द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

एस.आर. पानीपत और फरीदाबाद के कार्यालय में अभिलेख की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि उपयोगकर्ता आई.डी. चार उपयोगकर्ताओं को आवंटित किए गए थे, छुट्टी आदि पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में जिनका उपयोग क्रमशः 481 और 3,500 लेनदेन के लिए किया गया था तथा एस.आर. सोनीपत के कार्यालय में पंजीकरण प्रक्रिया पर काम करने वाले विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा एक एकल उपयोगकर्ता आई.डी. का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, इन मामलों में दर्ज डाटा के लिए कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

आगे, यह देखा गया था कि विभाग ने कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई। उपयोगकर्ता द्वारा अपने सुविधाजनक समय पर पासवर्ड को बदलने के लिए न तो सिस्टम में कोई प्रावधान था और न ही सिस्टम ने उपयोगकर्ता को नियमित अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने बताया कि पासवर्ड नीति तैयार की जाएगी और विभाग की मंजूरी के बाद उपयोगकर्ताओं के बीच परिचालित की जाएगी।

इस प्रकार, किसी भी व्यापक पासवर्ड नीति के अभाव में, छुट्टी आदि पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति के दिन/दिनों पर विभागीय अधिकारी/कर्मियों को आवंटित उपयोगकर्ता आई.डी. का उपयोग करके अनधिकृत रूप से 3,981 लेनदेन किए गए/एक्सेस किए गए थे। इस प्रकार, प्रणाली अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग/संचालन के जोखिम से परिपूर्ण थी।

#### 4.3.13 सिस्टम में लेखापरीक्षा मॉड्यूल की कमी

राजस्व विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था है। मानवीय के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि नियंत्रण विद्यमान हैं। डिजाइन चरण में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और डिजिटल ट्रेल्स को लागू करना महत्वपूर्ण है।

वेब-हैलरिस एप्लिकेशन की जांच के दौरान यह देखा गया था कि कम्प्यूटरीकृत वातावरण में लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की सुविधा के लिए लेखापरीक्षा क्वेरी मॉड्यूल को डिजाइन नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा एक सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डाटा की लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं को सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2019) विभाग ने सिस्टम में लेखापरीक्षा मॉड्यूल की कमी के तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2019)।

आगे, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने बताया कि अपेक्षित मॉड्यूल को विकसित और परिनियोजित किया जाएगा।

#### 4.3.14 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों (डी.एस.सी.) का उपयोग न करना

जमाबंदी, म्यूटेशन आदेश, गिरदावरी जैसे भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रति निर्धारित फीस का भुगतान करके तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। तथापि, जमाबंदी की कॉपी को [jamabandi.nic.in](http://jamabandi.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है, जो केवल सूचनात्मक उद्देश्य पूरा करती है और किसी भी राजस्व प्राधिकरण को तब तक स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि उस पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सत्यापित करने तथा संदेश की अखंडता सुनिश्चित करने और डाटा की अखंडता को सुरक्षित रखने और सुरक्षित करने में मदद के लिए किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों (डी.एस.सी.) को मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि के अतिरिक्त विभिन्न ई-सेवाओं जैसे कि ई-स्टाम्पिंग, ई-पंजीकरण, हैरिस और हैलरिस एप्लिकेशन के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से खरीदा जाना था। आरंभिक रूप से दो वर्षों की अवधि के लिए वैध डी.एस.सी. को अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग हेतु नवीकृत किया जा सकता है।

ए.सी.एस. और नौ एस.आर./जे.एस.आर.<sup>24</sup> के कार्यालय में डी.एस.सी. की खरीद/उपयोग से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया था कि उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसार उपयोग के लिए 830 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों (डी.एस.सी.) की खरीद के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन.आई.सी.एस.आई.) को ₹ 8.44 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था (फरवरी 2017)। इन डी.एस.सी. के उपयोग के बारे में डाटाबेस में कोई लॉग नहीं पाया गया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि डी.एस.सी. का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2019 से जनवरी 2020) एस.आर./जे.एस.आर. होडल, पलवल और सोनीपत ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा कोई भी डी.एस.सी. प्राप्त नहीं

<sup>24</sup>

धौज, फरीदाबाद, गौँछी, गोहाना, होडल, इसराना, पलवल, पानीपत और सोनीपत।

किया गया था और शेष छः एस.आर./जे.एस.आर. ने बताया कि सिस्टम में प्रावधान के अभाव के कारण डी.एस.सी. को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए उपयोग नहीं किया जा सका। दस्तावेजों/भूमि अभिलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर के अभाव में, दस्तावेजों की वैधता के साथ-साथ डाटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और इस तरह डी.एस.सी. के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, इन डी.एस.सी. का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग/एन.आई.सी. ने स्वीकार किया कि डी.एस.सी. को हैरिस प्रणाली में उपयोग करने के लिए नहीं रखा गया था। उन्होंने आगे बताया कि वेब-हैलरिस सिस्टम में ई-साईन का उपयोग परीक्षण पूरा होने के बाद किया जाएगा।

#### 4.3.15 अन्य अनुपालन मामला

##### पंजीकरण फीस की संशोधित दरों का विलंबित कार्यान्वयन

हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.65/सी.ए.16/1908/एस.एस.78 एवं 79/2018 दिनांक 3 अक्टूबर 2018 के अंतर्गत विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उद्ग्राह्य पंजीकरण फीस की दरों को संशोधित किया। ₹ 30 लाख से अधिक के लेन-देन के मूल्य वाले विलेखों के पंजीकरण के लिए आर.एफ. की दरें संशोधित/बढ़ाई गई थीं।

20 एस.आर./जे.एस.आर. के कार्यालय में अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि दिनांक 03 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना को 17 अक्टूबर 2018 को फील्ड कार्यालयों में परिचालित किया गया था। आगे, 3 और 17 अक्टूबर 2018 के मध्य, बिक्री, उपहार, पट्टे, विनिमय और संप्रेषण के 5,963 विलेख पंजीकृत किए गए थे और इनमें से 945 विलेखों (परिशिष्ट-V) में लेन-देन का मूल्य ₹ 30 लाख से अधिक था, जिन पर अधिसूचना की तारीख से वृद्धित दरों पर पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी लेकिन विभाग ने पूर्व-संशोधित दरों पर पंजीकरण फीस उद्गृहीत की। विभाग ने सिस्टम में इस तरह के बदलावों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कोई प्रक्रिया तैयार नहीं की थी, इसलिए बदलावों के विलंबित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, एन.आई.सी. ने बताया कि इस संबंध में निर्देश 16 अक्टूबर 2018 को विभाग से प्राप्त हुए थे और उसी के अनुसार बदलाव लागू किए गए थे। आगे, विभाग ने बताया कि पंजीकरण फीस के कम उद्ग्रहण की राशि की वसूली की जाएगी और केंद्रीय सर्वर में परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए समय अवधि और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को निर्धारित/प्रलेखित किया जाएगा।

#### 4.3.16 निष्कर्ष

आई.टी. प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन कंप्यूटरीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त था। विभाग ने यू.आर.एस./एस.आर.एस. (हैरिस) तैयार करके एक संरचित दृष्टिकोण का पालन नहीं किया, जिसके कारण सिस्टम में कुछ व्यावसायिक नियमों की मैपिंग में कमियां थीं जिसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन और एस.डी. की अनियमित छूट के कारण राजस्व की कम वसूली/अवसूली हुई। एक व्यवस्थित और प्रलेखित परिवर्तन प्रबंधन तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप शुल्कों/फीस की दर में परिवर्तन के बारे में सरकारी निर्देशों के कार्यान्वयन में देरी हुई। त्रुटिपूर्ण सिस्टम डिज़ाइन और

स्वचालन की अनुपस्थिति में मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया के अकार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ। ई-पंजीकरण प्रणाली में अपर्याप्त एप्लीकेशन नियंत्रण पारदर्शिता, बिचौलिया को हटाने, सेवा के अधिकार अधिनियम में परिकल्पित के रूप में नागरिकों को परेशानी मुक्त सेवाओं के प्रावधान के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। पासवर्ड नीति की कमी ने सिस्टम को अनधिकृत पहुंच के लिए भेद्य बना दिया। आपदाओं के मामले में आई.टी. संपत्तियों की देखभाल के लिए व्यापार निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी। म्यूटेशनों की संस्वीकृति में विलंब थे और एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि से आठ वर्ष की समाप्ति के बाद भी पूरा नहीं हुआ था।

#### 4.3.17 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करें:

- एक अच्छी तरह से परिभाषित व्यापक आई.टी. योजना तथा परिवर्तन प्रबंधन नीति/प्रक्रिया तैयार और प्रलेखित करना;
- विभिन्न लागू अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक प्रक्रियाओं की मैपिंग के लिए एक व्यवस्थित और प्रलेखित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और इसमें परिवर्तन के लिए एक परिवर्तन नियंत्रण तंत्र बनाना;
- पासवर्ड नीति बनाकर और लागू करके सिस्टम में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सुरक्षा नियंत्रणों को मजबूत करना;
- प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में डाटाबेस के नुकसान के उच्च जोखिम को कम करने के लिए विशेष रूप से एक डिजास्टर रिकवरी सिस्टम में मजबूत व्यावसायिक निरंतरता योजना को तैयार करना और लागू करना;
- भूखलन मानचित्रों और एफ.एम.बी. का पूर्ण डिजिटलीकरण, समयबद्ध ढंग से विलेखों की स्कैनिंग और इंडेक्सिंग करना; तथा
- दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को लागू किया जाए।

## **अध्याय-5**

**वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**



## अध्याय-5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

### 5.1 कर प्रबंध

#### 5.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का जारी करना, ड्राइविंग/कंडक्टर लाईसेंसों का जारी करना, मोटर वाहन कर (एम.वी.टी.), परमिट फीस तथा लाईसेंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी (आर.एल.ए.) की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।

#### 5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2018-19 में, परिवहन विभाग की 94 इकाइयों में से 57 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 5,387 मामलों में ₹ 53.31 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2,777.57 करोड़ की प्राप्तियों का 1.92 प्रतिशत) से आवेष्टित परमिट फीस, ओवर लोडेड वाहनों से जुर्माना, माल एवं यात्री वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य विविध अनियमितताएं प्रकट कीं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि तालिका 5.1 में वर्णित है।

तालिका 5.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट फीस की अवसूली/कम वसूली	2,029	4.26
2.	ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	1,136	1.92
3.	यात्री वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	554	0.69
4.	माल वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	954	2.29
5.	विविध अनियमितताएं	714	44.15
योग		5,387	53.31

चार्ट 5.1

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 3,163 मामलों में आवेष्टित ₹ 6.50 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने 39 मामलों में आवेष्टित ₹ 19.95 लाख वसूल किए जिनमें से 32 मामलों में वसूल किए गए ₹ 10.72 लाख इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 1.67 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

### 5.3 मोटर वाहन कर और पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली

597 परिवहन और माल वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान मोटर वाहन कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.61 लाख के मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 69.61 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

हरियाणा सरकार की दिनांक 28 मार्च 2017 तथा दिनांक 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहनों पर निर्धारित दरों पर तिमाही के पहले माह में कर उद्ग्राह्य होगा। प्रावधानों के अनुपालन में चूक के प्रकरण में विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के

0.5 प्रतिशत की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। पेनल्टी की वास्तविक राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी। मोटर वाहन कर की लागू दरें नीचे दी गई हैं:

माल वाहक (वार्षिक कर)	01.04.2017 से 30.09.2017 तक लागू दरें देय त्रैमासिक	1.10.2017 से लागू दरें देय मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक
1.2 टन तक	₹ 500	₹ 300
1.2 टन से अधिक लेकिन 6 टन से अधिक नहीं	₹ 7,875	₹ 7,200
छ: टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं	₹ 10,400	₹ 9,600
16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं	₹ 16,400	₹ 15,500
25 टन से अधिक	₹ 24,400	₹ 22,500
यात्री वाहन (वार्षिक कर)	देय त्रैमासिक	देय मासिक/त्रैमासिक
चालक को छोड़कर चार से छ: सीटें (चार पहिया वाहन)	₹ 625 प्रति सीट प्रति वर्ष	₹ 625 प्रति सीट प्रति वर्ष
चालक को छोड़कर सात से बारह सीटें (चार पहिया वाहन)	₹ 1,450 प्रति सीट प्रति वर्ष	₹ 1,450 प्रति सीट प्रति वर्ष

छ:<sup>1</sup> क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) के कार्यालयों में 1,37,416 परिवहन वाहनों (अप्रैल और दिसंबर 2018) में से 11,112 की नमूना-जांच में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 597<sup>2</sup> माल वाहक और यात्री वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान 522 मामलों में ₹ 62.51 लाख की राशि का कर जमा नहीं करवाया और 75 मामलों में ₹ 7.10 लाख का कर कम जमा करवाया। कर वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 69.61 लाख<sup>3</sup> की राशि के कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार ₹ 69.61 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर आर.टी.ए. फतेहाबाद तथा नूंह ने बताया (अप्रैल 2019 तथा फरवरी 2020) कि ₹ 8.57 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। सभी आर.टी.ए. ने सूचित किया कि ₹ 1.31 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

**सरकार मोटर वाहन कर की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को मजबूत करने पर विचार करे।**

<sup>1</sup> अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, नूंह, पंचकुला तथा सिरसा।

<sup>2</sup> यात्री वाहन: नूंह: 31 और करनाल: 65, माल वाहक: नूंह: 100, करनाल: 27, पंचकुला: 20, सिरसा: 31, फतेहाबाद: 32 तथा अंबाला: 291

<sup>3</sup> यात्री वाहन: करनाल: ₹ 6.73 लाख और नूंह: ₹ 1.78 लाख।

माल वाहक: अंबाला: ₹ 27.92 लाख, फतेहाबाद: ₹ 4.14 लाख, करनाल: ₹ 4.66 लाख, नूंह: ₹ 17.30 लाख, पंचकुला: ₹ 2.24 लाख तथा सिरसा: ₹ 4.84 लाख।

#### 5.4 परिवहन वाहनों पर लगाई गई पेनल्टी की अवसूली

97 परिवहन वाहनों के मालिकों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए लगाई गई देय पेनल्टी को जमा नहीं करवाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

मोटर वाहन (एम.वी.) अधिनियम, 1988 की धारा 194 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति, जो एम.वी. अधिनियम की धारा 113 के अंतर्गत वाहनों के प्रमाण-पत्र/पंजीकरण में निर्दिष्ट भार/सकल वाहन भार से अधिक भार के माल की ढुलाई करने वाला मोटर वाहन चलाता है, ₹ 2,000 का न्यूनतम जुर्माना और अतिरिक्त भार के ₹ 1,000 प्रति टन अतिरिक्त राशि के साथ अतिरिक्त भार के ऑफलोडिंग प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आगे, हरियाणा सरकार की 19 अप्रैल 2017 की संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि यदि मोटर वाहन चालक स्वीकार्य भार वहन क्षमता के 25 प्रतिशत तक अधिक माल की ढुलाई करता है तो वह ₹ 2,000 के न्यूनतम जुर्माने और अतिरिक्त भार के लिए प्रति टन ₹ 1,000 की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि वह स्वीकार्य भार वहन क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक माल की ढुलाई करता है तो वह ₹ 5,000 के न्यूनतम जुर्माने और अतिरिक्त भार के ₹ 2,000 प्रति टन अतिरिक्त राशि के साथ अतिरिक्त भार के ऑफलोडिंग प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, दिनांक 28 मार्च 2017 की अधिसूचना के तहत नोट के अनुसार, यदि राज्य में वाहन पंजीकृत है, तो नियत देय कर का भुगतान किए बिना या उस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना पाया जाता है जिसके लिए उसे परमिट दिया गया है, हल्के मोटर वाहन के लिए ₹ 10,000 और अन्य मोटर वाहन के मामले में ₹ 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उन मामलों में जहां वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं जुर्माने की राशि हल्के मोटर वाहन के लिए ₹ 20,000 और अन्य मोटर वाहन के मामले में ₹ 50,000 होगी।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए पाँच<sup>4</sup> क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2017 से दिसंबर 2018) ने प्रकट किया कि जारी किए गए 5,926 चालानों में से, 97<sup>5</sup> परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों (एम.वी. टैक्स का भुगतान किए बिना 10 मामले-पेनल्टी ₹ 4,40,000, निजी वाहन का वाणिज्यिक उपयोग दो मामले-पेनल्टी ₹ 50,000, ओवरलोडिंग 85 मामले-पेनल्टी ₹ 23,37,895) के लिए ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी। पेनल्टी की राशि वसूलने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी की राशि की वसूली नहीं हुई।

<sup>4</sup> झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर।

<sup>5</sup> झज्जर: 52, कैथल: 09, करनाल: 20, कुरुक्षेत्र: 06 तथा यमुनानगर: 10

यह इंगित किए जाने पर आर.टी.ए. कुरुक्षेत्र, करनाल तथा कैथल ने बताया (जनवरी तथा अप्रैल 2019 के मध्य) कि सात चालानों में ₹ 2.80 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। सभी पांच आर.टी.एज ने बताया (मई 2018 तथा अप्रैल 2019 के मध्य) कि ₹ 25.48 लाख की शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला जनवरी 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी राजस्व ठीक से वसूल किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।



## **अध्याय-6**

**अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां**



## अध्याय-6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

### 6.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

### 6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2018-19 में खदान एवं भू-विज्ञान (11 इकाइयां), विद्युत विभाग - बिजली पर कर एवं शुल्क (02 इकाइयां) तथा भू-राजस्व (34 इकाइयां) से संबंधित 163 इकाइयों में से 47 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 631 मामलों में ₹ 377.20 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,036.97 करोड़ की प्राप्तियों का 36.38 प्रतिशत) से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत तालिका 6.1 में वर्णित हैं।

तालिका 6.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	संविदा धन और ब्याज की अवसूली	39	311.97
2.	रॉयल्टी, बहाली एवं पुनर्वास की अवसूली	132	54.07
3.	नकल एवं म्यूटेशन फीस जमा न करना	221	0.05
4.	निरीक्षण फीस की अवसूली	196	0.26
5.	विविध अनियमितताएं	43	10.85
	<b>योग</b>	<b>631</b>	<b>377.20</b>

चार्ट 6.1

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 384 मामलों में आवेष्टित ₹ 302.94 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो वर्ष के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने 85 मामलों में आवेष्टित ₹ 10.40 करोड़ वसूल किए जिनमें से 15 मामलों में वसूल किए गए ₹ 10.36 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 304.34 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

### खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

#### 6.3 अग्रिम मासिक किश्तों और ब्याज की कम वसूली/अवसूली

विभाग ने ₹ 195.76 करोड़ के मासिक संविदा धन के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 36 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

निदेशक, खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) के पैरा 3 (i) के अनुसार बोल्टर, बजरी और रेत निकालने का अनुबंध, पर्यावरण मंजूरी प्रमाण-पत्र प्रदान करने की तिथि से या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीने की अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, शुरू होता है। ठेकेदार सरकार को अग्रिम रूप से अनुबंध के निर्वाह के दौरान संविदा धन की किश्तों का भुगतान करेगा। आगे, अनुबंध में यह प्रावधान है कि देय तारीख (तारीखों) पर संविदा धन की किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में 30 दिनों तथा 60 दिनों तक विलंब हेतु चूक की राशि पर क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा। 60 दिनों से अधिक विलंब, ठेका अनुबंध के समापन हेतु कार्रवाई आमंत्रित करने के लिए तथा चूक की संपूर्ण अवधि हेतु 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित राशि वसूलनीय होगी।

पांच<sup>1</sup> खनन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर तथा नवंबर 2018) ने प्रकट किया कि अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के मध्य 36 ठेकेदारों, जिन्हें बोल्टर, बजरी और रेत निकालने का ठेका दिया गया था, को ₹ 377.52 करोड़ की अग्रिम मासिक किश्तें जमा करवानी थीं लेकिन ठेकेदारों ने ₹ 181.76 करोड़ जमा किए। विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 195.76 करोड़ की अग्रिम मासिक किश्तों की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर खनन कार्यालय पानीपत तथा पंचकुला ने बताया कि ₹ 10.28 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी। सभी खनन कार्यालयों ने बताया कि ₹ 265.53 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर तथा दिसंबर 2018 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, बकाया राशि की मात्रा कम करने के लिए अनुबंध राशि की मासिक किश्तों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार से बैंक गारंटी प्राप्त करने पर विचार करे।

#### 6.4 खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि का कम जमा करवाना/जमा न करवाना

विभाग ने खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि में ₹ 21.30 करोड़ कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 22 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की। ₹ 7.08 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज का संग्रहण, परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 की धारा 77 (1) और आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) के पैरा 3 (xiv) के अनुसार ठेकेदार, खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि (एम.एम.डी.आर.आर.) की मासिक किश्तों के साथ अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करेगा। आगे, अनुबंध के भाग III के पैरा 5 में यह प्रावधान है कि नियत तारीखों पर भुगतान में चूक के मामलों में 30 दिनों, 60 दिनों तथा 90 दिनों तक चूक की राशि पर क्रमशः 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा।

पांच<sup>2</sup> खनन कार्यालयों (एम.ओज) के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर से नवंबर 2018) ने प्रकट किया कि अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के मध्य 22 ठेकेदारों को एम.एम.डी.आर.आर. निधि में ₹ 27.63 करोड़ की राशि जमा करवानी थी। तथापि, ठेकेदारों ने निधि में ₹ 6.33 करोड़ की राशि जमा करवाई। विभाग ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा न तो निधि में योगदान सुनिश्चित किया और न ही ब्याज लगाया, जिसके परिणामस्वरूप एम.एम.डी.आर.आर. निधि में ₹ 21.30 करोड़ की मासिक किश्त कम जमा/जमा नहीं हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 7.08 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

<sup>1</sup> अंबाला, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

<sup>2</sup> अंबाला, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

यह इंगित किए जाने पर एम.ओ. पंचकुला ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 4.52 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी। सभी एम.ओज ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 28.33 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर तथा दिसंबर 2018 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, ठेकेदारों द्वारा अधिनियम के अनुसार बहाली और पुनर्वास निधि में योगदान सुनिश्चित करे।

#### 6.5 रॉयल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

34 ईट भट्ठा मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान रॉयल्टी की ₹ 10.69 लाख की देय राशि जमा नहीं की। ₹ 4.11 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज का संग्रहण, परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 की पहली अनुसूची के अनुसार ईट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमशः 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। प्रत्येक खनन कार्यालय में रॉयल्टी के उद्ग्राहण एवं संग्रहण हेतु एक बी.के.ओ. रजिस्टर तैयार किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रॉयल्टी का भुगतान नहीं करते हैं, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रॉयल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है।

खनन अधिकारियों/सहायक खनन अभियंताओं (एम.ओज/ए.एम.ईज) के पांच<sup>3</sup> कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (अक्टूबर से नवंबर 2018) कि 725 में से 34 बी.के.ओज ने अप्रैल 2017 तथा मार्च 2018 के मध्य रॉयल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2019 तक 24 माह की अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 10.69 लाख की रॉयल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए या परमिटों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 10.69 लाख की रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 4.11 लाख का ब्याज भी नियमों के अनुसार उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर फरीदाबाद और यमुनानगर के ए.एम.ई./एम.ओ. ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 3.04 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी। सभी ए.एम.ईज/एम.ओज ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 11.76 लाख की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कि राजस्व के संग्रहण हेतु जिस वर्ष यह देय थे, यह आश्वस्त करना कि बी.के.ओज से रॉयल्टी की वसूली हेतु अच्छी मॉनीटरिंग की आवश्यकता थी।

<sup>3</sup> अंबाला, फरीदाबाद, पंचकुला, पानीपत तथा यमुनानगर।

मामला नवंबर 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, सरकारी राजस्व की प्रभावी निगरानी और समय पर वसूली के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने पर विचार करे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

चण्डीगढ़  
दिनांक: 25 जनवरी 2021

**फैसल**  
(फैसल इमाम)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 29 जनवरी 2021

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**परिशिष्ट**



**परिशिष्ट I**  
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

**अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 जून 2019 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए**

कर का नाम		2015-16	2016-17	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	12	12	24
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	12	12	24
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	2	2	4
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	2	2
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	9	8	17
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	8	8
राज्य उत्पाद शुल्क/ पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	2	3
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	2	3
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	2	3
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	2	2
<b>योग</b>	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों की कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>

परिशिष्ट II  
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

30 जून 2019 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर)  
के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	30.06.2019 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2014-15 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1	22वीं	1979-80	3
2	23वीं	1980-81	4
3	25वीं	1981-82	4
4	26वीं	1982-83	3
5	28वीं	1983-84	2
6	29वीं	1984-85	7
7	32वीं	1985-86	4
8	34वीं	1986-87	9
9	36वीं	1987-88	6
10	38वीं	1988-89	10
11	40वीं	1989-90	21
12	42वीं	1990-91, 1991-92, 1992-93	26
13	44वीं	1990-91, 1991-92, 1992-93	39
14	46वीं	1993-94	9
15	48वीं	1993-94, 1994-95	10
16	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	40
17	52वीं	1996-97	29
18	54वीं	1997-98	39
19	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20	60वीं	2000-01	36
21	62वीं	2001-02	42
22	63वीं	2002-03	46
23	64वीं	2003-04	52
24	65वीं	2004-05	48
25	67वीं	2005-06	48
26	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	98
27	70वीं	2008-09	55
28	71वीं	2009-10	51
29	72वीं	2010-11	59
30	73वीं	2011-12	24
31	74वीं	2013-14	50
32	75वीं	2012-13	47
33	78वीं	2014-15	49
<b>योग</b>			<b>1034</b>

## परिशिष्ट II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

30 जून 2019 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर)  
के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2014-15 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	498
2	राजस्व	226
3	खदान एवं भू-विज्ञान	52
4	कृषि	41
5	सिंचाई	9
6	चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर (विद्युत)	17
7	जन-स्वास्थ्य	5
8	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	4
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	100
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	7
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	5
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
	<b>योग</b>	<b>1034</b>

परिशिष्ट III  
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.1)

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य
2009-10	343	1,523	689.71	27	344	84.89	141	659	304.01	229	1,208	470.59
2010-11	229	1,208	470.59	29	342	203.81	3	264	103.56	255	1,286	570.84
2011-12	255	1,286	570.84	29	335	261.37	10	350	91.78	274	1,271	740.43
2012-13	274	1,271	740.43	42	655	1,167.16	9	254	215.62	307	1,672	1,691.97
2013-14	307	1,672	1,691.97	33	529	1,346.42	89	510	146.07	251	1,691	2,892.32
2014-15	251	1,691	2,892.32	27	584	1,281.44	2	364	972.99	276	1,911	3,200.77
2015-16	276	1,911	3,200.77	32	552	3,317.08	9	402	1,272.15	299	2,061	5,245.70
2016-17	299	2,061	5,245.70	29	560	1,921.52	5	283	1,422.16	323	2,338	5,745.06
2017-18	323	2,338	5,745.06	19	442	293.61	13	50	762.95	329	2,730	5,275.72
2018-19	329	2,730	5,275.72	27	720	1,110.88	5	296	584.73	351	3,154	5,801.87

परिशिष्ट IV  
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.2)

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2008-09	11 01 (पी.ए.)	5.48 38.23	11 01 (पी.ए.)	5.11 38.23	0.05 0.12	0.22 1.24
2009-10	11	119.01	11	30.95	-	0.30
2010-11	10 02 (पी.ए.)	147.03 148.10	05 02 (पी.ए.)	12.59 146.68	- 0.62	0.12 1.04
2011-12	7 01 (पी.ए.)	10.99 1,715.02	7 -	10.99 -	0.02 -	0.23 -
2012-13	3 01 (पी.ए.)	554.19 0.45	3 01 (पी.ए.)	547.42 0.45	- -	0.11 0.14
2013-14	9	266.99	9	63.27	0.13	0.13
2014-15	10 01 (पी.ए.)	17.46 310.48	10 01 (पी.ए.)	17.46 290.54	- -	- -
2015-16	10	604.67	10	209.94	-	-
2016-17	11 01 (पी.ए.)	122.23 518.66	11 01 (पी.ए.)	95.80 417.66	- -	- -
2017-18	13	138.60	13	57.29	0.20	0.20
योग	95 7 (पी.ए./टी.ए./ आई.टी. ऑडिट)	1,986.65 2,730.94	90 6 (पी.ए./टी.ए./ आई.टी. ऑडिट)	1,050.82 893.56	0.40 0.74	1.31 2.42
सकल योग	102	4,717.59	96	1,944.38	1.14	3.73

परिशिष्ट V

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 4.3.15)

पंजीकरण फीस की संशोधित दरों का विलंबित कार्यान्वयन

क्र. सं.	यूनिट का नाम	विलेख की श्रेणी	पंजीकृत विलेख की कुल संख्या	3000000 से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख की संख्या	पंजीकरण फीस मूल्य	उद्गृहीत पंजीकरण फीस	कम उद्गृहीत पंजीकरण फीस		
1	गुरुग्राम	बिक्री	394	222	79,95,000	33,30,000	46,65,000		
		कन्वेएन्स	63	36	16,75,000	5,40,000	11,35,000		
		पट्टे	101	26	8,90,000	3,90,000	5,00,000		
		उपहार	9	6	2,10,000	90,000	1,20,000		
2	वजीराबाद	बिक्री	246	76	28,50,000	11,40,000	17,10,000		
		कन्वेएन्स	115	44	17,05,000	6,60,000	10,45,000		
		पट्टे	71	3	1,00,000	45,000	55,000		
		विनिमय	1	1	20,000	15,000	5,000		
3	हरसरू	बिक्री	70	33	11,15,000	4,95,000	6,20,000		
		कन्वेएन्स	29	13	4,10,000	1,95,000	2,15,000		
		पट्टे	3	0	0	0	0		
		उपहार	3	1	50,000	15,000	35,000		
4	पानीपत	बिक्री	153	28	7,55,000	4,20,000	3,35,000		
		कन्वेएन्स	140	8	3,25,000	1,20,000	2,05,000		
		पट्टे	6	0	0	0	0		
		उपहार	20	2	90,000	30,000	60,000		
5	इसराना	बिक्री	16	2	40,000	30,000	10,000		
		6	सोनीपत	बिक्री	328	50	15,00,000	7,50,000	7,50,000
				कन्वेएन्स	86	19	5,65,000	2,85,000	2,80,000
		पट्टे	11	1	20,000	15,000	5,000		
7	गोहाना	बिक्री	127	7	1,85,000	1,05,000	80,000		
		कन्वेएन्स	4	2	45,000	30,000	15,000		
		पट्टे	2	0	0	0	0		
		विनिमय	1	0	0	0	0		
8	पलवल	बिक्री	518	26	7,95,000	3,75,000	4,20,000		
		कन्वेएन्स	12	0	0	0	0		
		विनिमय	1	1	35,000	15,000	20,000		
9	होडल	बिक्री	137	6	1,90,000	90,000	1,00,000		
		पट्टे	5	0	0	0	0		
10	फरीदाबाद	बिक्री	426	123	38,25,000	18,45,000	19,80,000		
		कन्वेएन्स	129	67	18,65,000	11,00,000	7,65,000		
		पट्टे	481	2	60,000	30,000	30,000		
		विनिमय	6	0	0	0	0		
		उपहार	2	1	20,000	15,000	5,000		
11	धौज	बिक्री	18	4	1,70,000	60,000	1,10,000		

क्र. सं.	यूनिट का नाम	विलेख की श्रेणी	पंजीकृत विलेख की कुल संख्या	3000000 से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख की संख्या	पंजीकरण फीस मूल्य	उद्गृहीत पंजीकरण फीस	कम उद्गृहीत पंजीकरण फीस
12	गोंछी	बिक्री	728	11	3,10,000	1,65,000	1,45,000
		कन्वेएन्स	24	0	0	0	0
		पट्टे	33	0	0	0	0
		विनिमय	2	0	0	0	0
13	रेवाड़ी	बिक्री	143	32	7,70,000	4,80,000	2,90,000
		कन्वेएन्स	20	8	2,00,000	1,20,000	80,000
		पट्टे	1	0	0	0	0
		विनिमय	1	0	0	0	0
		उपहार	2	0	0	0	0
14	धारुहेड़ा	बिक्री	504	12	3,00,000	1,80,000	1,20,000
		कन्वेएन्स	18	13	3,00,000	1,95,000	1,05,000
		पट्टे	104	0	0	0	0
		विनिमय	3	0	0	0	0
		उपहार	12	0	0	0	0
15	मनेठी	बिक्री	10	1	30,000	15,000	15,000
16	कुरुक्षेत्र	बिक्री	224	13	3,75,000	1,95,000	1,80,000
		कन्वेएन्स	17	1	20,000	15,000	5,000
		पट्टे	3	0	0	0	0
		विनिमय	1	0	0	0	0
		उपहार	3	0	0	0	0
17	पिहोवा	बिक्री	60	6	2,20,000	90,000	1,30,000
		कन्वेएन्स	2	0	0	0	0
		पट्टे	1	0	0	0	0
		विनिमय	1	0	0	0	0
		उपहार	1	0	0	0	0
18	हिसार	बिक्री	176	32	10,15,000	4,80,000	5,35,000
		कन्वेएन्स	72	3	95,000	45,000	50,000
		पट्टे	8	1	20,000	15,000	5,000
		उपहार	2	0	0	0	0
19	नारनौंद	बिक्री	12	1	20,000	15,000	5,000
20	उकलाना	बिक्री	22	1	20,000	15,000	5,000
		कन्वेएन्स	8	0	0	0	0
		पट्टे	1	0	0	0	0
		विनिमय	10	0	0	0	0
		<b>कुल</b>	<b>5,963</b>	<b>945</b>	<b>3,12,00,000</b>	<b>1,42,55,000</b>	<b>1,69,45,000</b>



# शब्दावली



ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.के.ओ	ईट भट्ठा मालिक
सी.जी.एस.टी.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सी.एल.	देशी शराब
सी.एम.वी.आर.	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
सी.एस.टी. एकट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.सी.	उपायुक्त
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रहण रजिस्टर
डी.डी.ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.ई.पी.बी.	शुल्क एवं हकदारी पासबुक
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ई.सी.	शक्तिप्राप्त समिति/पर्यावरण क्लीयरेंस
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.डी.सी.	बाह्य विकास प्रभार
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
जी.एम.	महाप्रबंधक
भा.स.	भारत सरकार
जी.टी.ओ.	सकल टर्नओवर
एच.एस.वी.पी.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.यू.डी.ए.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.वी.ए.टी. एकट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.डी.सी.	आंतरिक विकास प्रभार
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एकट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन

आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त सब-रजिस्ट्रार
एल.ओ.आई.	आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट)
एम.सी.	नगर निगम
एम.ई.	खनन अभियंता
एम.आई.सी.आर.	मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
एम.ओ.	खनन अधिकारी
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
पी.ए.	निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.)
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)
आर.ए.	पुनरीक्षण प्राधिकारी
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.एल.पी.	विशेष लीव याचिका
एस.आर.	सब-रजिस्ट्रार
एस.टी.ओ.	राज्य कर अधिकारी
टी.सी.पी.	नगर एवं ग्राम आयोजना
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्माण संविदा कर







© भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.cag.gov.in/ag/haryana/en](http://www.cag.gov.in/ag/haryana/en)